"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 मई 2023 —— ज्येष्ठ 1, शक 1945

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–58/2018/26. – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं हित लाभों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 कहलायेगा।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49);

(ख) **''दिव्यांगता प्रमाणपत्र''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र;

(ग) **''कार्यपालक मजिस्ट्रेट''** से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 4) की धारा 20 के अन्तर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेट;

(घ) **''परिवार''** से अभिप्रेत है दिव्यांगजन के माता–पिता (जैविक/सौतेले), भाई–बहन–तृतीय लिंग (अविवाहित), पुत्र–पुत्री– तृतीय लिंग संतान (आश्रित) तथा विधिक अभिभावक;

(झ) **''संस्था का पंजीयन''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी संस्था की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु जारी पंजीयन प्रमाणपत्र;

(ञ) **''राज्य''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ट) **''राज्य आयुक्त''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 79 के अधीन नियुक्त राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़;

(ठ) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

अध्याय–दो
अधिकार और हकदारियां

3. **स्थापन का दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना.**– (1) स्थापन का प्रमुख /प्रभारी सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन दिव्यांगजनों के अधिकारों का दुरूपयोग नहीं किया जाये तथा ऐसे व्यक्तियों को उनके हितलाभों से वंचित नहीं किया जाये ।

(2) दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों के निपटारे हेतु, प्रत्येक स्थापन, किसी एक अधिकारी/कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामांकित करेगा, यदि नोडल अधिकारी को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह उसका निराकरण 60 दिवस के भीतर करेगा।

(3) यदि कोई शासकीय या कोई निजी स्थापन, जो बीस से अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर रहा है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त करता है, तो वह :–

(एक) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा; या

(दो) व्यथित व्यक्ति को लिखित में सूचित करेगा कि, की गई कार्यवाही समानुपातिक रूप से पर्याप्त है।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ को शिकायत प्रस्तुत करता है, तो उसके शिकायत का निराकरण, 60 दिवस की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(5) शिकायत के निराकरण का क्रियान्वयन, संबंधित शासकीय या कोई निजी स्थापन, 90 दिवस की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगा।

(6) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अधीन आने वाले दिव्यांग महिला एवं बालक को, उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का समान आधार पर अधिकार होगा एवं

उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।

(7) प्रत्येक स्थापन को प्राप्त होने वाले शिकायत के निराकरण तथा लंबित आदि की जानकारी, प्रतिवर्ष, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

4. **दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य समिति.**– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य समिति के रुप में ज्ञात निकाय का गठन करेगी। ऐसी राज्य समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(एक)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो विज्ञान या चिकित्सा (दिव्यांगता या दिव्यांगता से संबंधित) अनुसंधान के क्षेत्र में वृहद अनुभव रखता हो.	– अध्यक्ष
(दो)	आयुक्त–सह–संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़	– सदस्य
(तीन)	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़	– सदस्य–सचिव
(चार)	संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़	– सदस्य
(पांच)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़	– सदस्य
(छः)	कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	– सदस्य
(सात)	विभागाध्यक्ष, पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (विषय विशेषज्ञ दृष्टि एवं श्रवण बाधित)	– सदस्य
(आठ)	विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	– सदस्य
(नौ)	अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पांच पृथक–पृथक दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों के पांच व्यक्ति,	– सदस्य
(दस)	दिव्यांगता के क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में पांच व्यक्ति, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों का प्रतिनिधित्व करेंगे.	– सदस्य

खण्ड (एक), (नौ) तथा (दस) के अशासकीय सदस्यों का नाम राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, किन्तु उक्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी।

(2) समिति, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अथवा राज्य से बाहर के किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगी।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, नामनिर्देशन आदेश के दिनांक से तीन वर्ष की होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य, एक और पदावधि के लिए पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) राज्य शासन, यदि वह ठीक समझे तो, किसी नामनिर्देशित सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसे उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगा।

(5) बैठक की सूचना, पन्द्रह दिवस पूर्व समिति के सदस्यों को दिया जाना अनिवार्य होगा।

(6) समिति की बैठक में एक तिहाई सदस्यों के उपस्थित होने पर ही बैठक की गणपूर्ति होगी, किन्तु गणपूर्ति नहीं होने पर, न्यूनतम 30 मिनट तक के लिए बैठक स्थगित किए जाने की स्थिति में, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(7) समिति, आवश्यकतानुसार, दिव्यांगजन के स्वास्थ्य, तकनीकी, शिक्षा एवं उनके रोजगार और पुनर्वास हेतु पृथक–पृथक उप–समितियों का गठन करेगी, ये उप–समितियां तीस दिवस के समयान्तराल में बैठक आयोजित करेगी तथा एक वर्ष के भीतर शोध कार्य पूर्ण करेगी और उसे समिति को प्रस्तुत करेगी।

(8) अनुसंधान कार्य के लिए किसी भी विशेषज्ञ व्यक्ति या संस्था को अनुबंधित कर, इस प्रयोजन हेतु अधिकतम राशि रूपये पांच लाख प्रति शोध प्रति वर्ष व्यय किया जा सकेगा।

(9) समिति द्वारा पारित निर्णय/आदेश, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के समक्ष 60 कार्य दिवस के भीतर, अपील योग्य होगी, अपीलीय अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(10) स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा जारी "वित्त–निर्देश" के अनुसार राज्य शासन के मण्डल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों के लिये अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की पात्रता, अध्यक्ष को अध्यक्ष की दर से तथा सदस्य को सदस्य की दर से होगी।

(11) खण्ड (नौ) तथा (दस) में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति के अशासकीय अध्यक्ष/सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा/दैनिक भत्ते की राशि का भुगतान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 88 एवं नियम 98 के अधीन, दिव्यांगजन हेतु गठित राज्य निधि से या शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार/राज्य निराश्रित निधि से किया जायेगा।

(12) राज्य शासन, समिति को उतने लिपिकीय और अन्य मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी, जैसा कि राज्य शासन आवश्यक समझे।

5. **समिति के गठन में किसी कमी के कारण कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी.–** समिति की कोई भी कार्यवाही, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि संगठनात्मक समिति में कोई रिक्ति या कोई कमी विद्यमान है।

6. **दिव्यांगजन, अनुसंधान का विषय नहीं होगा.–** कोई दिव्यांगजन, किसी अनुसंधान का विषय तब तक नहीं होगा, यदि अनुसंधान का उसके शरीर पर भौतिक या मानसिक प्रभाव पड़ता हो।

7. **कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.–** अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिवादों पर अग्रतर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 133 से धारा 143 के प्रावधानों के अधीन वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

8. **संरक्षण और सुरक्षा.–** (1) अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशा में समान संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

(2) अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (2) के अधीन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा 2 के खण्ड (ड.) के अधीन परिभाषित है, में दिव्यांगजनों को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (3) के अधीन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिले में दिव्यांग व्यक्तियों के ब्यौरे का अभिलेख संधारित करेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम/आपदा की किन्हीं स्थितियों में सूचित करते हुए, यथोचित उपाय करेगा जिससे कि आपदा प्रबंधन की तैयार को बढाया जा सके तथा समुचित पुर्नवास किया जा सके।

(4) राज्य स्तर पर संचालक, समाज कल्याण तथा जिला स्तर पर संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण के समन्वय एवं संपर्क से, दिव्यांगजन के संबंध में आपदा प्रबंधन से संबंधित आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी।

(5) आपदा की स्थिति में राहत कार्य हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों में बाधारहित सामग्री एवं संसाधनों का होना अनिवार्य है। आपदा प्रबंधन दल में से श्रवण बाधितों के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो साइन लैंग्वेज (सांकेतिक भाषा) का सम्प्रेषण एवं उपयोग करता हो तथा विशिष्ट दिव्यांगता को सूचित करने वाले चिन्ह/मार्क सहित संसूचना प्रदर्शित किया जाना चाहिये।

(6) नियम 8 के उप–नियम (1), (2), (3) एवं (5) के अधीन प्रावधानित कार्यवाही के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नोडल विभाग होगा।

9. **गृह और कुटुम्ब.–** (1) अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन किसी दिव्यांग बालिका/बालक/तृतीय लिंग व्यक्ति को, यदि दिव्यांग बालिका/बालक/तृतीय लिंग व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, सक्षम न्यायालय के

आदेश के बिना, उसके अभिभावकों से दिव्यांगता के आधार पर पृथक नहीं किया जायेगा।

(2) जहां परिवार, 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बालक/बालिका/तृतीय लिंग की देखरेख करने में असमर्थ हैं तो, बाल कल्याण समिति (किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 2) के प्रावधानों के अनुरूप), ऐसे बालक को उसके निकटतम नातेदार के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर, कुटुम्ब परिवेश में समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, किशोर न्याय अधिनियम एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे बालगृह में रखा जायेगा।

(3) जहां परिवार, 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन की देखरेख करने में असमर्थ हैं तो, अनुविभागीय दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का सं. 44) के प्रावधानों के अनुरूप या अन्य स्थिति में, ऐसे दिव्यांगजन को उसके नजदीकी नातेदार के पास रखा जायेगा और ऐसा न हो पाने पर, कुटुम्ब परिवेश में समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे बाल गृहों में रखे जाने हेतु निर्णय/अनुमति देगा।

(4) उप–नियम (2) एवं (3) के अधीन लिया गया निर्णय, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का सं. 10) को प्रभावित नहीं करेगा।

10. **प्रजनन का अधिकार.**– (1) दिव्यांग व्यक्तियों को प्रजनन एवं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों आदि के द्वारा समुचित सूचना दी जायेगी तथा जागरूक किया जायेगा।

(2) रक्त विकृति तथा आनुवांशिक विकार से होने वाली दिव्यांगताओं के संबंध में विवाह पूर्व परामर्श दिया जायेगा।

(3) दिव्यांगजनों के प्रजनन एवं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में, यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है कि गर्भ धारण/बच्चे को जन्म देने से, दिव्यांग महिला को, जन्म लेने वाले शिशु के स्वास्थ्यगत एवं परवरिश के संबंध में, किसी भी प्रकार की समस्या या जोखिम हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में, जिला स्तर पर निम्नलिखित ''परीक्षण और सुझाव समिति'' का गठन किया जायेगा :–

(एक)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	–	अध्यक्ष
(दो)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	–	सदस्य
(तीन)	संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण	–	प्रस्तुतकर्ता

समिति, रिपोर्ट का परीक्षण कर, 3 दिवस के भीतर कलेक्टर को प्रेषित करेगी। जिला कलेक्टर 7 दिवस के भीतर समुचित निर्णय लेंगे।

कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध अपील, संभागायुक्त के समक्ष 7 दिवस के भीतर की जा सकेगी, जिस पर संभागायुक्त, आगामी 7 दिवस के भीतर प्रकरण पर अंतिम निर्णय लेगा तथा उसका निराकरण करेगा।

(4) नियम 10 के उप–नियम (1) एवं (2) के अधीन कार्यवाही करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नोडल विभाग होगा।

11. **मतदान केन्द्रों में पहुंच.**– अधिनियम की धारा 11 के अधीन राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्रों में दिव्यांगजनों की सुगम और बाधारहित पहुंच हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री, लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत, सहकारिता एवं अन्य समस्त निर्वाचन प्रक्रियाओं में भी उनकी सहजता से समझने योग्य एवं पहुंच में हो।

12. **न्याय तक पहुंच.**– (1) अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के अधीन दिव्यांगता के आधार पर न्याय उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (3) के अधीन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुंनिश्चित करेगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य/केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं या सेवाओं का प्रदाय, उनके कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है।

(3) समस्त न्यायालयों, बोर्ड एवं आयोग में दिव्यांगजनों के प्रकरणों की सुनवाई में प्राथमिकता दी जाएगी तथा परिसर के अंदर दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित व्यवस्था प्रदान की जायेगी।

(4) राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि राज्य/जिला स्तर पर साइन लैंग्वेज (सांकेतिक भाषा) में प्रशिक्षित या जानकार शासकीय/निजी अधिवक्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

(5) राज्य शासन के समस्त विभाग की वेबसाईट के अतिरिक्त दिव्यांगजनों से सम्बन्धित रजिस्ट्री/साक्ष्य दस्तावेज/फाईल आदि को दिव्यांगजनों के अनुकूल सुगम/पढ़ने योग्य बनाया जायेगा।

13. **संरक्षकता के लिए उपबंध.**– (1) अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन संरक्षकता के लिए कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का सं. 44) में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) दिव्यांग महिला के प्रकरण में, विधिक संरक्षक की नियुक्ति के लिए महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।

14. **सामाजिक जागरूकता.**– अधिनियम की धारा 15 के अधीन छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन तथा जन सामान्य में दिव्यांगजन के प्रति

सामाजिक जागरूकता विकसित करने हेतु इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा।

अध्याय–तीन
शिक्षा

15. **शैक्षणिक संस्थानों का कर्तव्य.**– (1) राज्य में संबंधित विभाग द्वारा संचालित विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को, दिव्यांगजन हेतु समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु विकसित किया जायेगा तथा संबंधित विभाग, विभागीय जिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रुप में समुचित निर्देश जारी करेगा।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी, दिव्यांगता के आधार पर, किसी शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने तथा शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न हो।

(3) दिव्यांग विद्यार्थियों को, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 35) की धारा 18 के अधीन दिव्यांग बच्चों को समेकित निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी।

(4) यदि उप–नियम (2) एवं (3) के अनुसार सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है तो दिव्यांग विद्यार्थी, संबंधित जिले के विभागीय जिला/नोडल अधिकारी को शिकायत करेगा।

(5) शिकायत प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के भीतर जिला/नोडल अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(6) जिला/नोडल अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील, विभागीय आयुक्त/संचालक को की जा सकेगी, अपील के प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर शिकायत का निराकरण किया जायेगा।

(7) उप–नियम (6) के अधीन लिये गये निर्णय की अवमानना की दशा में, राज्य सरकार द्वारा, शासकीय शिक्षण संस्थान के संबंधित प्राचार्य/प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जायेगा।

(8) अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की स्थिति में, संस्थान की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार समुचित निर्देश जारी करके, विभागीय जिला/नोडल अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी।

(9) समस्त शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थान का भवन, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य होगा, यदि किसी शिक्षण संस्था का भवन, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्य नहीं है तो संबंधित विभाग, ऐसे भवनों को अधिकतम 03 वर्ष में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सुगम्य बनायेगा।

(10) संबंधित विभाग, दिव्यांग विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए दिव्यांगता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, परीक्षाओं हेतु अतिरिक्त समय, तथा सहायक

की उपलब्धतता के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप समुचित दिशा–निर्देश जारी करेगा।

(11) नोडल अधिकारी, संस्था में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की जानकारी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन परिभाषित दिव्यांगता के आधार पर देगा।

(12) नोडल अधिकारी, काउन्सिलिंग करेगा तथा प्राप्त शिकायत का निराकरण करेगा, संस्थान में शिक्षण/प्रशिक्षणरत दिव्यांगजन के संबंध में जानकारी, जिला स्तर पर संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को शिक्षा सत्र प्रारंभ एवं समापन के 15 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से देगा।

(13) राज्य शासन के समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों की स्वीकृत संख्या में से 15 प्रतिशत स्थान (सीट), दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षित रखा जायेगा, इस संबंध में संबंधित विभाग, दिशा–निर्देश जारी करेगा।

(14) प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक जिले के जनपद पंचायत/जिला मुख्यालय में किसी एक अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक विद्यालय/ महाविद्यालय एवं कौशल विकास केन्द्र को समावेशी शिक्षा/रोजगार के मॉडल के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

16. समावेशी शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय.–(1) छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग का कर्तव्य होगा कि राज्य के 06 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले दिव्यांग बालकों की पहचान करे तथा पहला सर्वेक्षण, अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर कराये।

(2) राज्य के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की दिव्यांगता की शीघ्र पहचान करने हेतु, सर्वेक्षण एवं पहचान के बाद, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु हस्तांतरित किया जायेगा।

(3) बच्चों में दिव्यांगता की रोकथाम एवं उपचार के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभिभावकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं काउंसलिंग कराई जायेगी तथा इस हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानव संसाधनों के प्रशिक्षण का दायित्व भारसाधक विभाग का होगा।

(4) छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार संचालित छात्रावासों के दिव्यांग अंतःवासियों को सुविधाएं एवं संसाधन प्रदान करने हेतु नोडल विभाग होगा।

अध्याय–चार
कौशल विकास और नियोजन

17. **व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन.**– (1) अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन दिव्यांगजन को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित

अनुदानित आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को दिव्यांगजन की सुविधा के अनुरूप विकसित किया जायेगा।

(2) दिव्यांगजन को व्यावसायिक प्रशिक्षण से लाभान्वित करने हेतु पृथक यूनिट कॉस्ट एवं बैच साईज का निर्धारण भी किया जायेगा तथा दिव्यांगों की दिव्यांगता के आधार पर विशेष शिक्षक (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित में प्रशिक्षित) का होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) दिव्यांगजन को स्व–रोजगार हेतु रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने का कर्तव्य छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य ऋण प्रदाय करने वाले सम्बन्धित विभागों का होगा।

18. **समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति.**– (1) प्रत्येक स्थापना, दिव्यांगजनों के लिए, अधिनियम की धारा 2 के अधीन परिभाषित प्रावधान/दिव्यांगता के प्रकार के अनुरूप समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा।

(2) समान अवसर नीति को स्थापन द्वारा अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करने में अधिमानता दिया जायेगा, यदि वेबसाईट नहीं हो तो, वह अपने परिसर में सहजदृश्य स्थान पर उसे प्रदर्शित करेगा।

(3) बीस या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले शासकीय और निजी स्थापन की सामान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध भी अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:–

(एक) दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं, जो उन्हें स्थापन में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ कर सके;

(दो) स्थापन में दिव्यांगजन के लिए समुचित पदों की सूची;

(तीन) दिव्यांगजनों को विभिन्न पदों पर चयन की रीति, नियुक्ति के पश्चात्/पूर्व प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, पद स्थापन, विशेष अवकाश, आवासों के आबंटन तथा अन्य सुविधाओं में वरीयता दी जायेगी;

(चार) नियुक्त किये गये दिव्यांगजनों की देखभाल के लिए, सहायक युक्तियों, बाधामुक्त पहुंच तथा अन्य उपबंधों का लाभ प्रदान करने हेतु समस्त स्थापन द्वारा नोडल अधिकारी नामांकित किया जायेगा;

(पांच) नोडल अधिकारी ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं की जांच करेगा।

(4) बीस से कम कर्मचारियों वाले निजी स्थापन द्वारा समान अवसर नीति के अधीन दिव्यांगजन को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं अंतर्विष्ट की जायेंगी ताकि वे, स्थापन में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

(5) प्रत्येक स्थापन, प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले शिकायत के निराकरण तथा लंबित शिकायतों आदि की जानकारी, नोडल अधिकारी राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को उपलब्ध कराएगा।

19. **स्थापन द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीति.–** (1) प्रत्येक स्थापन, हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों में अभिलेखों का संधारण करेगा, जिसमें रजिस्टर के रूप में या कम्प्यूटर या टैब या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप में या किसी भी प्रकार की लिखित सूचना सम्मिलित है, चाहे वह साधारण या मशीनी भाषा में अभिव्यक्त हो और ऐसे अन्य दस्तावेजों का भी संधारण करेगा, जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो सकते हों।

(2) प्रत्येक स्थापन निम्नलिखित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले अभिलेख संधारित करेगा, जिसे प्रत्येक वर्ष माह–जनवरी में समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:–

(एक) दिव्यांगजन की संख्या, जो नियोजित है तथा वह दिनांक, जिससे वे नियोजित हैं;

(दो) ऐसे नियोजित व्यक्तियों के नाम, लिंग, पदनाम, श्रेणी और पता;

(तीन) ऐसे नियोजित व्यक्तियों की दिव्यांगता के प्रकार, (दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान–पत्र संख्या सहित);

(चार) ऐसे नियोजित दिव्यांगजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति;

(पांच) ऐसे दिव्यांगजन को उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्ट सुविधाएं।

(3) प्रत्येक स्थापन, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अभिलेखों का सत्यापन करेगी।

20. **अभिलेखों का निरीक्षण.–** (1) प्रत्येक स्थापन समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो यह जानने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि, क्या उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

(2) यदि निरीक्षण के समय यह प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो, जांचकर्ता प्राधिकारी, जिला स्तर पर कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर संबंधित विभाग को जांच के समय पायी गई कमियों का पालन कराये जाने हेतु लिखित में सूचित करेगा।

21. **शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति.–** (1) प्रत्येक शासकीय स्थापन, राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न के अधिकारी को ''शिकायत प्रतितोष अधिकारी'' के रूप में, इस नियम के प्रारंभ होने के छः माह के अन्दर, नियुक्त करेगा।

(2) शिकायत प्रतितोष अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायत का निराकरण 90 दिवस के भीतर किया जायेगा, शिकायत का निराकरण नही करने की स्थिति में कारण बताया जाएगा तथा प्राप्त शिकायतों के अद्यतन जानकारी, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को देगा।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति तथा शिकायत प्रतितोष अधिकारी को प्राप्त शिकायत तथा शिकायत के निराकरण की जानकारी, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को देगा।

(4) समस्त विभाग, नियुक्त/नामांकित शिकायत प्रतितोष अधिकारी की जानकारी अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा, यदि वेबसाईट नही हो तो, वह अपने परिसर में सहजदृश्य स्थान पर उसे प्रदर्शित करेगा।

(5) इस प्रयोजन के लिए शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट होंगीः—

(एक) शिकायत दर्ज करने का दिनांक;
(दो) शिकायतकर्ता का नाम;
(तीन) उस व्यक्ति का नाम, जो शिकायत की जांच कर रहा है;
(चार) घटना का स्थान;
(पांच) स्थापन/संगठन या व्यक्ति का नाम, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है;
(छः) शिकायत का सारांश;
(सात) अभिलेखीय साक्ष्य, यदि कोई हो;
(आठ) शिकायत प्रतितोष अधिकारी द्वारा निराकरण का दिनांक;
(नौ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निराकरण का संक्षिप्त विवरण;
(दस) कोई अन्य सूचना।

(6) यदि शिकायत पर, ''शिकायत प्रतितोष अधिकारी'' द्वारा की गई कार्यवाही से, समाधान नहीं होता है, तो वह दिव्यांगता पर गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है, जो कि निम्नांनुसार होगी :—

(एक)	कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	— अध्यक्ष
(दो)	सहायक आयुक्त अथवा श्रम अधिकारी श्रम विभाग	— सदस्य
(तीन)	संयुक्त/उप/सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग	— सदस्य—सचिव

अध्याय—पांच
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास

22. **सामाजिक सुरक्षा.**— राज्य शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों से दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

23. **स्वास्थ्य देख रेख.**— (1) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय चिकित्सालयों में दिव्यांगजन का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार,

डायग्नोसिस, थैरेपी एवं दिव्यांगजन को पृथक पंक्ति की सुविधा प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश बनाकर, 06 माह के अन्दर अधिसूचित किया जायेगा।

(2) राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में बाधारहित वातावरण हेतु प्रत्येक पहलु की संसूचना प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) सभी निजी चिकित्सालयों को छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट, 2015 के अन्तर्गत लायसेंस देने से पहले, उप–नियम (2) में यथा विहित बाधारहित सुविधाओं का होना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।

(4) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय की अध्यक्षता में दिव्यांगजन के सर्वेक्षण, शोध कार्य पर चर्चा के पश्चात् क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जायेगा :–

(एक)	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, संचालनालय	–	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, सामुदायिक स्वास्थ्य, पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	सदस्य
(तीन)	अपर संचालक, समाज कल्याण संचालनालय	–	सदस्य
(चार)	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	–	सदस्य –सचिव

उक्त समिति में, अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में मनोनीत करने के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक, समाज कल्याण से अनुरोध किया जा सकता है।

(5) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, दिव्यांगों की समुचित थैरेपी हेतु जिला मुख्यालय या अवश्यकता होने पर जनपद पंचायत मुख्यालय में समस्त व्यवस्था करेगी, इस नियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष के अन्दर उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(6) वामपंथ अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के दिव्यांगों (चालीस प्रतिशत/चालीस प्रतिशत से अधिक) के पुनर्वास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना बनाया जायेगा।

(7) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग वार्षिक/प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता के आधार पर सर्वे, चिकित्सा प्रमाणपत्र (यू.डी.आई.डी. कार्ड सहित), प्रदाय की गई सुविधा की संख्या, प्रतिवर्ष प्रदर्शित की जायेगी।

24. **पुनर्वास.**– राज्य शासन के समस्त विभाग द्वारा संचालित योजना/कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित विशेष प्रावधान करते हुए, विभागीय वार्षिक/ प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगतावार प्रदाय की गई सुविधा की संख्या, प्रतिवर्ष प्रदर्शित की जायेगी।

25. **अनुसंधान एवं विकास.**– राज्य शासन, राज्य स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सुगम्य, सरल और स्वावलम्बी बनाने के लिये निम्नांकित समिति गठित करेगाः–

(1)	संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय	–	अध्यक्ष
(2)	संचालक, पंचायत संचालनालय	–	सदस्य
(3)	संचालक, नगरीय प्रशासन	–	सदस्य
(4)	संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय	–	सदस्य
(5)	संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण	–	सदस्य
(6)	संयुक्त संचालक, राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र	–	सदस्य–सचिव

उक्त समिति में अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ सदस्य को संचालक, समाज कल्याण संचालनालय के अनुरोध पर सम्मिलित किया जायेगा।

अध्याय–छः
बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

26. आरक्षण के लिये पदों की पहचान.– (1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, विभिन्न सरकारी स्थापनाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के अनुरूप पदों का चिन्हांकन करने हेतु समिति का गठन करेगा, यह समिति, समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप एक वर्ष के भीतर पदों की विभागवार एवं पदवार पहचान करेगी।

(2) उक्त समिति, तीन वर्ष के भीतर चिन्हांकित किये गये पदों का मूल्यांकन भी करेगी।

27. रोजगार हेतु आरक्षण.– (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा, यह आरक्षण, अधिनियम में दर्शाये गए प्रतिशत से कम नहीं होगा। आरक्षण निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए रहेगा :–

(एक) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि;
(दो) बहरे और कम सुनने वाले;.
(तीन) लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी;
(चार) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी;
(पांच) खंड (एक) से (चार) के तहत व्यक्तियों की बहुदिव्यांगता।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विभिन्न विभागों को विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

28. रिक्तियों की संगणना.– (1) रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिए, पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में कुल रिक्तियों को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगता का प्रकार नियम 27 के उप–नियम (1) के अनुसार होगा।

(3) प्रत्येक शासकीय स्थापन/संस्था, दिव्यांगजन के लिए कैडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एक रिक्ति आधारित रोस्टर रखेगा।

(4) रिक्तियों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी करते समय प्रत्येक शासकीय स्थापन प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के साथ अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगताओं को उपदर्शित करेगा, साथ ही विज्ञापन प्रसारण तथा पदपूर्ति की अद्यतन जानकारी नोडल विभाग (समाज कल्याण विभाग) को निर्धारित प्ररूप में उपलब्ध कराएगा।

(5) अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिए आरक्षण समस्तर (होरिजेण्टल) और प्रभागवार (कम्पार्टमेंटवाइज) होगा, बैंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों को पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा।

(6) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये समस्त विभागों को विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

(7) नियम 26, 27 एवं 28 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा, जो प्रतिवर्ष कार्यों का मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करेगा, राज्य शासन के समस्त विभागों/उपक्रमों/निगम/मण्डल द्वारा अपनी वार्षिक/ प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिव्यांगजनों को शासकीय सेवा में नियुक्ति की पदवार संख्या, प्रतिवर्ष प्रदर्शित की जाएगी।

29. **रिक्तियों का अंतर–परितर्वन.–** (1) शासकीय स्थापन, अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अन्तर्गत रिक्तियों का अंतर–परिवर्तन केवल तब करेगा, जब नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया जैसे बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने का अनुसरण किया गया है और जब नियुक्ति की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, पद के लिए कोई दिव्यांगजन न हो।

(2) ऐसी स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश पर एवं इस सम्बन्ध में गठित समिति के माध्यम से ही, रिक्तियों का अन्तर–परिवर्तन किया जा सकेगा।

30. **विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.–** (1) प्रत्येक शासकीय स्थापन, स्थानीय रोजगार कार्यालय को कर्मचारी की विवरणी प्ररूप–एक में 01 अप्रैल से 31 मार्च के लिए छः मास में एक बार तथा प्ररूप–दो में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

(2) छः माही विवरणी को सम्बन्धित दिनांक से 30 दिन के भीतर अर्थात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च और 30 सितम्बर को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) द्विवार्षिक विवरणी को प्रत्येक एकांतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

31. **नियोक्ता द्वारा अभिलेख को रखे जाने का प्ररूप.**– प्रत्येक शासकीय स्थापन/संस्था का नियोक्ता, प्ररूप– तीन में दिव्यांग कर्मचारियों के अभिलेख रखेगा।

32. **निजी क्षेत्र में नियोजको को प्रोत्साहन.**– शासन के समस्त विभाग से प्राधिकृत निजी क्षेत्रों के नियोजकों, जिन्होंने कुल मानव संसाधनों में से कम से कम पांच प्रतिशत तक दिव्यांगों का नियोजन किया है, को प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) देने के लिये एक वर्ष के भीतर कार्य योजना बनाकर, अनुदेश जारी करेगा।

33. **विशेष रोजगार कार्यालय.**– अधिनियम की धारा 36 के अधीन विशेष रोजगार कार्यालय, जिनको रिक्तियां अधिसूचित की जानी है –

(1) राज्य शासन के अधीन स्थापन/संस्थाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक स्वरूप के पदों की ऐसी रिक्तियां, जो अधिनियम के अधीन हैं, उन्हें विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट रिक्तियों से भिन्न रिक्तियां सम्बन्धित स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालयो में अधिसूचित की जायेगी।

(3) जिला अन्तर्गत संचालित जिला रोजगार कार्यालय ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों, जो बेरोजगार है तथा रोजगार हेतु प्रयासरत है, के समस्त अभिलेख कार्यालय में रखेंगे तथा ऐसे दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से कार्यालय में किसी एक अधिकारी/कर्मचारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

(4) नियम 33 के उप–नियम (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा।

अध्याय–सात
अधिक सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

34. **अधिक सहायता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिये विशेष प्रबंध.**– (1) अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (1) के अधीन ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को, जो स्वयं को अधिक सहायता की आवश्यकता वाले समझते हों, ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को प्राधिकारी अधिसूचित किया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (2) के अधीन संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जो अधिक सहायता की आवश्यकता वाले हों, ऐसे विशेष प्रकरणों की प्रकृति

को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक)	कलेक्टर या प्रतिनिधि (अतिरिक्त / संयुक्त कलेक्टर से अन्यून)	– अध्यक्ष
(दो)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	– सदस्य
(तीन)	संयुक्त / उप संचालक, समाज कल्याण	– सदस्य–सचिव
(चार)	सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक	– सदस्य

उपरोक्त उल्लिखित प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी। प्रकरण का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जायेगा।

(3) नियम 38 के उप–नियम (2) के अधीन गठित निर्धारण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील हेतु संभाग स्तर पर अपील बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक)	संभागीय आयुक्त या उनका प्रतिनिधि	– अध्यक्ष
(दो)	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य विभाग	– सदस्य
(तीन)	संयुक्त / उप संचालक, समाज कल्याण	– सदस्य–सचिव
(चार)	सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक	– सदस्य

परन्तु उपरोक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी, खण्ड (दो) एवं (तीन) हेतु संभाग मुख्यालय के जिला अधिकारी ही नामांकित होंगे, अपील का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा।

(4) वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संयुक्त / उप संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण, अधिक सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

(5) अधिक सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधायें, निर्धारण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान की जायेगी।

अध्याय–आठ
समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

35. **जागरूकता अभियान.**– (1) अधिनियम की धारा 39 के अधीन छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण तथा संवर्धन हेतु जागरूकता अभियान संचालन के लिये समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राधिकारी अधिसूचित किये जायेंगे।

(2) राज्य शासन, जागरूकता अभियान संचालन के लिये, आवश्यकतानुसार, निधि का पर्याप्त आबंटन उपलब्ध करायेगा।

36. **सुगम्यता का निर्माण.**– प्रत्येक स्थापन निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करेगा :– केन्द्र / राज्य शासन, सुगम्यता हेतु समय–समय पर भौतिक पर्यावरण, परिवहन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा, जैसे :–

(एक) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में अधिसूचित लोक भवन मानक जैसे, ''हारमोनाइज्ड गाईडलाइन्स एण्ड स्पेस स्टैण्डर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिल्टीज एण्ड एल्डरली पर्सन्स'';

(दो) भारत सरकार, सड़क और राजमार्ग परिवहन, मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट पब्लिक बस परिवहन बाडी कोड जैसे अधिसूचना सं. सा.का. नि. 895 (अ) दिनांक 20 सितम्बर, 2016 में;

(तीन) भारतीय भवन निर्माण संहिता, 2016, यथा संशोधित या समय–समय पर जारी;

(चार) सूचना और संचार प्रौद्योगिकीः–

(क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार की वेबसाईट के मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) वेबसाईट पर रखे जाने वाले दस्तावेज निर्धारित फार्मेट जैसे, ePUB या OCR आधारित PDF फार्मेट में होंगे;

(ग) वेब सामग्री पहुंच मार्गदर्शक सिद्धांत जैसे (WCAG) 2.0;

(घ) भारत सरकार की वेबसाईट के लिए दिशा–निर्देश;

किन्तु अन्य सेवाओं और प्रसुविधाओं के सम्बन्ध में पहुंच मानकों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

37. **सुगम्य मानकों का पुनर्विलोकन.**– भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर सम्बन्धित सुगम्य मानकों की नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी और प्रौद्योगिकी के आधार पर पुनर्विलोकन करेगी। इसका अनुसरण राज्य शासन के समस्त विभाग द्वारा किया जायेगा।

38. **विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय–सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही.**– (1) भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान अन्तर्गत प्रसारित निर्देश तथा अधिनियम की धारा 45 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य के समस्त शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों (परिसरों) को दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित किया जाये।

(2) निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी सुगम्यता हेतु ग्रामीण/नगरीय निकाय/प्राधिकरण के संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(3) विभिन्न विभागों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, सुगम्यता हेतु अधिकतम समय सीमा 10 वर्ष होगी, नोडल विभाग के अनुमोदन से, प्रकरणवार समय–सीमा में वृद्धि की जा सकती है तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

(4) 90 दिवस में कार्य योजना तैयार कर आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ तथा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराते हुए, अपनी विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा, यदि वेबसाईट नहीं है तो वे अपने परिसर में सहजदृश्य स्थान पर उसे प्रदर्शित करेंगे।

(5) सभी निर्माण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/एजेंसी सुगम्य अंकेक्षण का समुचित दल तैयार करेगा और उस दल के माध्यम से सुगम्यता अंकेक्षण और पूर्ण अंकेक्षण करायेगा।

(6) संबंधित विभाग के भवन, सड़क, वेबसाईट, निर्माण एजेंसी, परिवहन साधन एवं परिवहन व्यवस्था निर्माण एजेंसियों के लिए अनुमति तथा इस तरह की अन्य को अनुमति प्रदान करने के दौरान, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, सुगम्यता को, अनुमति में सम्मिलित करेगी।

(7) खण्ड (6) का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जांच सूची बनाई जायेगी, पालन न किये जाने पर अथवा उल्लंघन किये जाने पर, आवश्यक शास्ति एवं दण्ड का प्रावधान करेगा।

39. **सेवा प्रदाताओं द्वारा सुगम्यता के लिए समय–सीमा.**– अधिनियम की धारा 46 के अधीन राज्य शासन के सभी विभाग, सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिये आगामी 02 वर्ष के भीतर नियम बनाएंगे, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग से उचित कारण दर्शाते हुए अवधि में वृद्धि कराई जा सकती है।

40. **मानव संसाधन विकास.**– (1) संबंधित विभाग, नियम प्रवृत्त होने के 06 माह के भीतर पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदाधारियों, न्यायाधीशों, वकीलों तथा अन्य व्यवसायियों के प्रशिक्षण के लिये सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर आज्ञापक प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे।

(2) संबंधित विभाग, नियम के प्रारंभ होने के 02 वर्ष के भीतर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल कार्मिक, समाज कल्याण विभाग के मानव संसाधन, ग्रामीण विकास अधिकारियों, मितानिन कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी तथा अन्य शैक्षणिक एवं व्यवसायिक कार्यकर्ताओं के लिये सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता संबंधी विषय को सम्मिलित करेंगे।

(3) समस्त विभाग, नियम के प्रारंभ होने के 01 वर्ष के भीतर स्वतंत्र जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिये सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों, अन्य अंशधारकों तथा सहायता एवं देख–रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करेंगे।

(4) समस्त विभाग, नियम के प्रारंभ होने के 01 वर्ष के भीतर पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदायिक संबंधो का निर्माण करने के लिये दिव्यांग व्यक्तियों के लिये स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(5) छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नियम के प्रारंभ होने के 02 वर्ष के भीतर क्रीड़ा, खेलकूद, रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीड़ा अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगे।

41. **क्रियान्वयन समिति.**– (1) अधिनियम की धारा 47 की उप–धारा (3) में कथित बाध्यता के अतिरिक्त, क्रियान्वयन की समीक्षा राज्य स्तर पर किये जाने हेतु, निम्नांकित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जायेगा :–

(एक)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग	– अध्यक्ष
(दो)	आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़	– सदस्य
(तीन)	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय	– सदस्य
(चार)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम	– सदस्य
(पांच)	संयुक्त संचालक, राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र	– सदस्य–सचिव

उक्त समिति में, अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ अथवा विशेष आमंत्रित सदस्य को अध्यक्ष के अनुरोध पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) विशेष आमंत्रित विषय विशेषज्ञ, अशासकीय सदस्य को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बैठक, यात्रा और अन्य के लिए भत्ता दिया जायेगा, जिसका भुगतान राज्य निराश्रित निधि/अधिनियम की धारा 88 एवं इन नियमों के नियम 98 के अधीन जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) **क्रियान्वयन समिति के दायित्व** :–

(एक) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(दो) दिव्यांगजनों हेतु प्रचार–प्रसार, संवेदनशीलता हेतु वातावरण निर्माण आदि के लिये उचित कार्यवाही करना;

(तीन) दिव्यांगजनों हेतु नवीन कल्याणकारी योजना/कार्यक्रमों के निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करना;

(चार) उक्त कार्यवाहियों हेतु राशि की उपलब्धता हेतु प्रयास करना।

(4) यदि समिति को सम्बंधित व्यक्ति, विभाग, एजेंसी तथा संगठन से क्रियान्वयन में कमियों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो 3 माह के अंदर संबंधित द्वारा यह कार्य योजना प्रस्तुत की जायेगी कि इन कमियों की पूर्ति हेतु कितना समय लगेगा।

(5) क्रियान्वयन में कमियों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन तथा कमियों को पूर्ति करने में लगने वाले समय की जानकारी, विभागीय/संस्थागत वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाएगा, यदि वेबसाईट नहीं है तो, कार्यालय परिसर में सहजदृश्य स्थान पर उसे प्रदर्शित किया जायेगा।

42. **सामाजिक अंकेक्षण.**— समस्त विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित किये जा रहे योजना/कार्यक्रमों का अंकेक्षण, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिकृत व्यक्ति/संस्था/संगठन/विशेषज्ञों के द्वारा किया जायेगा, जिसका व्यय भार संबंधित विभाग वहन करेगा।

अध्याय—नौ
दिव्यांग व्यक्तियों के लिये संस्थाओं का पंजीयन और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

43. **सक्षम प्राधिकारी.**— अधिनियम की धारा 51 की उप—धारा (1) के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामांकित अधिकारी, अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के पंजीयन के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

44. **अशासकीय संस्थाओं की मान्यता.**— (1) दिव्यांगजन के लिये संस्थागत शिक्षण प्रशिक्षण, देखरेख एवं अन्य सेवाएं संचालित करने वाली सभी संस्थाएं, चाहे वे राज्य सरकार या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही हो, को अधिनियम की धारा 50 के अधीन पंजीकृत किया जाएगा, चाहे वे संस्थाएं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत या अनुज्ञप्ति प्राप्त होः

परंतु मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों की देखरेख के लिये कोई संस्था, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 80 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे अधिनियम के अधीन पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सूचना दी जानी होगी।

(2) संबंधित अशासकीय स्वैच्छिक संस्था, निर्धारित प्ररूप में संबंधित जिले के संयुक्त /उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग को आवेदन करेंगे।

(3) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगेः—

(एक) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने के अभिलेखीय साक्ष्य;
(दो) संस्थाओं को शासित करने वाला संविधान, उप—विधियां एवं विनियम आदि;
(तीन) विगत 03 वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसका सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुतिकरण का प्रमाण एवं विवरण आदि;
(चार) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा परीक्षित अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण में आक्षेपित कमियों को सुधार करने का प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का विवरण तथा विगत 03 वर्षों में प्राप्त अनुदान;
(पांच) संस्था में नियोजित व्यक्तियों के नाम, उनकी शैक्षणिक अर्हता एवं उनकी कुल संख्या तथा उनके अपने—अपने कर्तव्यों और उनको संदत्त किए जा रहे मानदेय के बारे में जानकारी;

(छः) संस्था में नियोजित विशेषज्ञों की संख्या, उनके नाम तथा उनकी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अर्हता संबंधी जानकारी;

(सात) पूर्व में दोषसिद्ध के अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य में संलिप्तता के विषय में घोषणा पत्र संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे और यह भी कि उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है;

(आठ) आवेदक के निवास संबंधी प्रमाण, उसका पता, ई–मेल, दूरभाष, मोबाइल नम्बर तथा संस्था की वेबसाईट के बारे में जानकारी;

(नौ) विभाग द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज ।

(4) प्रत्येक संस्था, जिसने उप–नियम (1) के अधीन आवेदन किया है, संस्था के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करेगीः–

(एक) आवेदन प्रस्तुत करने के तत्काल पूर्व संस्था, 3 वर्ष से अधिक समय से दिव्यांग व्यक्तियो के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रही है;

(दो) संस्था, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है, और आवेदन के साथ ऐसे पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, संस्था की उप–विधि, और मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रति प्रस्तुत की जाएगी;

(तीन) संस्था, किसी व्यक्तिगत या निजी निकाय के हित के लिए संचालित नहीं है;

(चार) दिव्यांगजनों को भोजन देने और अन्य विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था में भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकृत पेशेवरों को नियुक्त किया हो;

(पांच) संस्था में दिव्यांगजनों के लिये पर्याप्त शिक्षण, ज्ञानार्जन एवं सीखने की अन्य सामग्री उपलब्ध है;

(छः) संस्था ने अपने संपरीक्षित लेखों और वार्षिक प्रतिवेदन, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है तथा उसको सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण, एवं अंकेक्षण में आक्षेपित कमियों को दूर करने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण;

(सात) सुगम्य वातावरण सहित भौतिक अधोसंरचना, समावेशी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रास्थिति, जल, विद्युत, स्वच्छता, साफ–सफाई एवं मनोरंजन सुविधाओं के ब्यौरे/विशिष्टियां;

(आठ) संस्था या आश्रय गृह चलाने का नियंत्रक निकाय का संकल्प;

(नौ) नए आवेदकों के प्रकरणों में दिव्यांगजनों को चिकित्सीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, परामर्श इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना और मौजूदा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की सेवाओं का भी ब्यौरा;

(दस) सुरक्षा, संरक्षा और सुगम्य परिवहन की व्यवस्थाएं;

(ग्यारह) संगठन द्वारा चलाई जाने वाली अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;

(बारह) दिव्यांगजनों को आवश्यकता–आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिये अन्य शासकीय, अशासकीय, कार्पोरेट और अन्य सामुदायिक एजेंसियों के साथ लिंकेज तथा नेटवर्क का ब्यौरा;

(तेरह) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अधीन पंजीयन और उपलब्ध निधियों का ब्यौरा, यदि कोई हो;

(चौदह) ऐसे अन्य अधिनियम और नियमों (जैसे, किशोर न्याय अधिनियम, श्रम अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, माता–पिता भरण पोषण अधिनियम, नर्सिंग अधिनियम, अग्नि शमन सेवा अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद आदि के प्रावधान) के क्रियान्वयन के लिये एवं स्वच्छता के संबंध में समुचित कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी;

(पन्द्रह) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य मानदंड।

(5) संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय, समाज कल्याण, आवेदन की प्राप्ति पर 30 दिवस के भीतर संस्था के कार्यकलापों की जांच कर विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(6) खण्ड (5) की कार्यवाही के पश्चात् 20 दिवस के भीतर जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित, प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(7) प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् 40 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी सत्यापन और समाधान करने के बाद, अधिनियम की धारा 50 के उपबंधो के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगाः

परन्तु आवेदन प्राप्ति के पश्चात् निम्नांकित अनुसार 90 दिवसों के भीतर ही संस्था को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा :–

जिला कार्यालय, समाज कल्याण	जिला कलेक्टर	आयुक्त/संचालक समाज कल्याण द्वारा नामांकित अधिकारी
30 दिवस	20 दिवस	40 दिवस

(8) पंजीयन प्रमाणपत्र, जारी होने के दिनांक से 05 वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा, किन्तु स्वैच्छिक संस्था संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय, समाज कल्याण को प्रतिवर्ष किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(9) पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन, इसकी अवधि समाप्त होने के 90 दिवस पूर्व संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय, समाज कल्याण में करना होगा।

(10) संस्थाओं के पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, जिला कार्यालय द्वारा 30 दिवस में, जिला कलेक्टर द्वारा 20 दिवस में, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 40 दिवस में, नवीनीकरण पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करना होगा।

(11) यदि संस्था, पंजीयन के नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने से पहले पंजीयन के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करते है, तो वह संस्था, अधिनियम की धारा 50 के उपबंधो के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रह जाएगी तथा उसके हितग्राहियों आदि की आगामी व्यवस्था, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा ही की जायेगी।

(12) यदि निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा से यह ज्ञात हो कि अधिनियम और इसके अधीन विहित नियमों में यथा निर्धारित शिक्षण–प्रशिक्षण, संरक्षण, पुनर्वास तथा पुनर्समेकन सेवाओं और संस्था के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन असंतोषजनक है या सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो राज्य सरकार, संस्था के प्रबंधन की मान्यता को किसी भी समय समाप्त कर सकती है, ऐसी स्थिति में उसके हितग्राहियों की आगामी व्यवस्था, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा ही की जायेगी।

45. **पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करना.–** सक्षम अधिकारी, आवेदक को सुनवाई हेतु 15 दिवस का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् प्रमाणपत्र देने से इंकार करते हुए एक ‘‘बोलता आदेश’’ पारित करेगा, ऐसे आदेश में ऐसे प्रमाणपत्र को देने से इंकार करने के विशिष्ट कारण अंतर्विष्ट होंगे और आवेदक को तद्नुसार पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट तथा ई–मेल से सूचित किया जाएगा।

46. **पंजीयन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता.–** अधिनियम की धारा 50 के अधीन जारी किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र, 5 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 52 के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो।

47. **पंजीयन का प्रतिसंहरण .–** (1) अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (2) के अधीन स्वीकृत किये गये पंजीयन के प्रमाणपत्र को निरस्त करने के दौरान आवेदक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा, नोटिस में पंजीयन को निरस्त करने के विशिष्ट कारण अंतर्विष्ट होंगे और आवेदक को तद्नुसार पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट तथा ई–मेल से सूचित किया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (2) के अधीन पंजीकृत संस्था की मान्यता समाप्त होने पर मान्यता एवं अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उसके हितग्राहियों की आगामी व्यवस्था, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

48. **सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील.–** सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र देने से इंकार करने या पंजीयन प्रमाणपत्र को निरस्त करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या संगठन, 30 कार्य दिवस के भीतर, ऐसे इंकार करने या निरस्त करने के विरूद्ध, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को अपील कर सकेगा, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

49. **पंजीकृत संस्थाओं को सहायता.–** दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु पंजीकृत संस्थाओं को छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, विभागीय मान्यता/अनुदान के नियम के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ।

अध्याय–दस
विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन

50. **प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना.–** शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त चिकित्सालयों के लिये अलग–अलग सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करेंगे।

51. **दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन.–** (1) कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा और आवेदन निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा :–

(एक) कोई चिकित्सा अधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम अधिकारी, आवेदक के निवास के जिले में, निवास के सबूत के रूप में यथा वर्णित या अनुसूची–एक में यथा वर्णित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(दो) किसी शासकीय अस्पताल के सक्षम चिकित्सा अधिकारी, जहां से वह अपनी दिव्यांगता के संबंध में उपचार करा रहा हो या उसने उपचार कराया हो:

परंतु यदि कोई दिव्यांग अवयस्क है या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है या किसी ऐसी दिव्यांगता से ग्रस्त है जो उसे स्वयं ऐसा आवेदन करने में असमर्थ बनाती हो, तो उसके निमित्त आवेदन, उसके विधिक अभिभावक या अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसे संगठन द्वारा किया जा सकेगा जिसकी देखभाल के अधीन उक्त दिव्यांगजन हो।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किए जाएंगे :–

(एक) आवास का प्रमाण (मूल निवास), राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित दिव्यांगता के प्रकरण में विधिक अभिभावक के आवास का प्रमाण;

(दो) दो नवीनतम पासपोर्ट साईज की छायाचित्र, दिव्यांगता को दर्शित करने वाला छायाचित्र;

(तीन) आधार क्रमांक अथवा आधार नामांकन क्रमांक, यदि कोई हो।

52. **दिव्यांगता प्रमाणपत्र का जारी किया जाना.–** (1) आवेदन प्राप्त होने पर चिकित्सा अधिकारी या अन्य अधिसूचित सक्षम अधिकारी, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के दिव्यांगता का निर्धारण करेगा तथा स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात कि आवेदक दिव्यांगजन है, विहित प्ररूप में उसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) चिकित्सा अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) चिकित्सा अधिकारी, समुचित परीक्षण के पश्चात् :–

(एक) उन प्रकरणों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा, जहां दिव्यांगता के स्तर में समय के साथ परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, अथवा

(दो) उन मामलों में, जहां समय के साथ दिव्यांगता के स्तर में परिवर्तन की संभावना है, अस्थाई दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा और विधिमान्यता की अवधि भी उपदर्शित करेगा।

(5) यदि कोई आवेदक, दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो चिकित्सा अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए उसे सूचित करेगा।

(6) इन नियमों के प्रवृत्त होने के 03 माह के भीतर भारत सरकार की वेब पोर्टल www.swavlamvancard.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किया जाएगा।

53. जारी किया गया प्रमाणपत्र साधारणतः सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा.–

(1) कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जारी किया गया है, उसे शासन तथा वित्त पोषित गैर–शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन समस्त सुविधाओं, छूट और लाभ, जो दिव्यांगजन को अनुज्ञेय है, विधिमान्य होगी।

(2) ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र होगा, जैसा कि समुचित योजनाओं में विनिर्दिष्ट हो या अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

54. अपील.– सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, साठ दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपील कर सकेगा तथा इसका निराकरण तीस दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, इस नियम के प्रवृत्त होने के नब्बे दिवस के भीतर विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

अध्याय–ग्यारह

दिव्यांगजन के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड

55. राज्य सलाहकार बोर्ड.– (1) अधिनियम की धारा 66 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिव्यांगजन के लिए राज्य सलाहकार समिति का

गठन किया जाता है, जो कि दिव्यांगजन के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन करेगी, समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(एक)	माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
(दो)	तीन विधायक (छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा)	–	सदस्य
(तीन)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम	–	सदस्य
(चार)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ योग आयोग	–	सदस्य
(पांच)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वित्त, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग, खेल एवं युवा कल्याण, परिवहन, विधि और विधायी कार्य, लोक निर्माण, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	–	सदस्य
(छः)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग	–	सदस्य–सचिव
(सात)	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय	–	सदस्य
(आठ)	सदस्यों के निम्नलिखित प्रवर्ग राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे– पांच विशेषज्ञ, जो दिव्यांगजन के पुनर्वास एवं कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों (अधिनियम में यथा प्रावधानित दिव्यांगता के आधार पर चक्रानुक्रम में,)	–	सदस्य
(नौ)	05 सदस्य जिला प्रतिनिधि (संभागीय चक्रानुक्रम में दिव्यांगजन के पुनर्वास एवं कल्याण के क्षेत्र मे कार्यरत)	–	सदस्य
(दस)	10 दिव्यांगजन जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, जिसमें से 05 महिला, 01 अनु.जाति एवं 01 अनु. जनजाति का होगा	–	सदस्य
(ग्यारह)	03 सदस्य स्टेट चेम्बर ऑफ कॉमर्स	–	सदस्य

(2) अधिनियम की धारा 66 के खण्ड (2)(ङ)(दो) के अधीन चक्रानुक्रम द्वारा जिलों का प्रतिनिधित्व करने हेतु नामांकित पांच सदस्य निम्नानुसार होंगे –

(एक) जिलों को, दिव्यांगजनों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, जनगणना की अनुपलब्धता पर जिलों का चयन, समाज कल्याण विभाग द्वारा विहित की गई रीति के अनुसार की जायेगी।

(दो) प्रत्येक संभाग में, एक जिले का चयन किया जाएगा, जहां दिव्यांगजनों की जनसंख्या सर्वाधिक है तथा पांच सदस्य पहली बार में नामांकित होंगे, जो बोर्ड में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(तीन) प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, सर्वाधिक दिव्यांगजन आबादी वाले अन्य जिलों का चयन किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया तब तक निरंतर रहेगी, जब तक कि समस्त जिलों का प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं हो जाता।

(चार) उपरोक्त जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(पांच) सदस्यों का चयन, संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर किया जाएगा।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी, विशेष परिस्थिति में, अध्यक्ष की अनुमति से, विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

56. सदस्यों हेतु निर्बंधन और शर्तें.– (1) राज्य सलाहकार बोर्ड के अशासकीय सदस्य, अपने नामनिर्देशन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(2) राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझे तो, किसी नामनिर्देशित सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात, उसे हटा सकेगी।

(3) नामनिर्देशित कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित में एवं हस्ताक्षर द्वारा, किसी भी समय पद त्याग कर सकेगा।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति, नये नामनिर्देशित सदस्य द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए ही पद धारण करेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति पद धारण करता, जिसके स्थान पर वह नाम निर्देशित हुआ है।

57. सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिये भत्ते.– (1) राज्य सलाहकार बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को बैठक के प्रत्येक दिन के लिए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा प्रसारित 'वित्त–निर्देश'' के अनुसार राज्य शासन के मण्डल/आयोग/निगम के सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते देय होंगे।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को, जो नवा रायपुर/रायपुर में निवास नही कर रहे हैं, वास्तविक यात्रा व्यय, या वास्तविक किराया जो रेल के द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित किराए से अधिक नहीं होगा।

(3) शासकीय सदस्यों को दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय, संबंधित विभाग, जिसके अधीन यह कार्य कर रहा है, से नियमों के अधीन इस निमित्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा कि उसने किसी अन्य शासकीय स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहराव के लिए ऐसा कोई भत्ता आहरित नहीं किया है।

(4) खण्ड (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, समिति के अशासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान राज्य निराश्रित निधि/अधिनियम की

धारा 88 एवं नियम 98 के अधीन गठित दिव्यांगजन हेतु राज्य निधि या शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

58. **निरर्हतायें.–** (1) ऐसा कोई व्यक्ति, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, जो–

(एक) दिवालिया हो या किसी समय सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया हो या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

(दो) विकृत चित्त का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो; या

(तीन) किसी अपराध, जो राज्य शासन की राय में नैतिक मूल्यों के विरूद्ध हो, के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता हो या ठहराया गया हो; या

(चार) किसी भी समय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है या ठहराया गया हो; या

(पांच) जिसने, राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया हो कि उसका राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल हों।

(2) राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश तब नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का युंक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) कोई सदस्य, जो इस नियम के अधीन हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

59. **राज्य सलाहकार बोर्ड के कृत्य.–** राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार कृत्य करेगा, अर्थात्:–

(1) दिव्यांगजनों के लिये नीति निर्धारण, कार्यक्रम, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना।

(2) दिव्यांगजनों हेतु राज्य नीति को विकसित करना।

(3) दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने वाले सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा एवं समन्वय करना।

(4) दिव्यांगजनों के लिये नवीन कार्यक्रमों को तैयार करना।

(5) दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित वातावरण, उचित आवास, समानता के संदर्भ में कार्रवाई करना।

(6) नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

(7) अन्य कोई कृत्य जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाये।

60. **बैठक की सूचना.**— (1) राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक साधारणतया ऐसे दिनांक को, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये, आयोजित की जायेगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड की विशेष बैठक, कम से कम दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, आयोजित की जायेगी।

(3) सदस्य—सचिव, बैठक की सूचना, सदस्यों को संवाहक द्वारा या उनके पते पर स्पीड/रजिस्टर्ड डाक या ऐसी किसी अन्य रीति से, जैसा कि अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, देगा।

(4) कोई भी सदस्य, बैठक में विचारण के लिए किसी विषय को, अध्यक्ष की अनुमति के बिना, लाने का हकदार नहीं होगा ।

(5) अध्यक्ष को राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक को स्थगित करने का अधिकार होगा।

61. **पीठासीन अधिकारी.**— अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेगा, किंतु जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनो किसी बैठक में अनुपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्य में से किसी एक वरिष्ठतम सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

62. **गणपूर्ति.**— (1) राज्य सलाहकार बोर्ड के कुल सदस्यों का एक—तिहाई सदस्य बैठक में उपस्थित होने पर, गणपूर्ति पूर्ण होगी, किन्तु गणपूर्ति नहीं होने पर, न्यूनतम तीस मिनट तक के लिए बैठक स्थगित किये जाने की स्थिति में, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(2) कोई विषय, जो किसी साधारण या विशेष बैठक का एजेण्डा नहीं है, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।

63. **कार्यवृत्त.**— (1) सदस्य—सचिव, उन सदस्यों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाला अभिलेख रखेगा, जिन्होंने बैठक में भाग लिया था तथा बैठक की कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए एक पंजी संधारित किया जायेगा।

(2) पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक आगामी बैठक के प्रारंभ में पढ़ा जाएगा और अध्यक्ष द्वारा उसका अनुमोदन किया जायेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

64. **बैठकों में संव्यवहार की जाने वाली कार्यवाही.**— अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, कार्यवाही में किसी एजेण्डा को शामिल नहीं किया जायेगा या यदि सदस्य ने नियम 60 के उप—नियम (4) के अधीन सूचना नहीं दी है, तो किसी बैठक में ऐसा संव्यवहार नहीं होगा।

65. **राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए एजेण्डा.–** (1) किसी बैठक में कार्यवाही का संव्यवहार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें वह एजेण्डा में प्रविष्टि है, सिवाय वह अन्यथा अध्यक्ष की अनुज्ञा से न किया गया हो।

(2) या तो, बैठक के प्रारंभ में या बैठक में किसी प्रस्ताव पर चर्चा के समापन पर, अध्यक्ष या सदस्य, एजेण्डा में यथा प्रविष्ट कार्यवाही के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि अध्यक्ष सहमत होता है तो ऐसा परिवर्तन किया जाएगा।

66. **बहुमत द्वारा संकल्प.–** समिति की बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यदि मतों की संख्या समान होती है तो निर्णायक मत, अध्यक्ष का होगा या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा।

67. **रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.–** राज्य सलाहकार बोर्ड की कोई कार्यवाही को केवल ऐसे बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि के विद्यमान होने के आधार पर, प्रश्नगत किया किया जायेगा।

68. **दिव्यांगता पर जिला स्तरीय समिति.–** (1) अधिनियम की धारा 72 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिव्यांगजन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जो कि निम्नानुसार होगा :–

(एक)	कलेक्टर	–	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	उपाध्यक्ष
(तीन)	आयुक्त, नगरपालिक निगम	–	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
(पांच)	जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(छः)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	–	सदस्य
(सात)	जिला परिवहन अधिकारी, जिला कार्यालय परिवहन	–	सदस्य
(आठ)	उप संचालक/प्राचार्य (जिला नोडल) जिला कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(नौ)	मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र	–	सदस्य
(दस)	संयुक्त/उप संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग	–	सदस्य
(ग्यारह)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	–	सदस्य
(बारह)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत	–	सदस्य
(तेरह)	अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(चौदह)	दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञ 03 व्यक्ति (अधिनियम	–	सदस्य

में प्रावधानित दिव्यांगता के आधार पर चक्रानुक्रम)।

(पन्द्रह)	05 सदस्य, नगरीय/जनपद पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधि चक्रानुक्रम में	–	सदस्य
(सोलह)	स्वैच्छिक संस्था के 05 सदस्य, विभिन्न दिव्यांगता के साथ, जिसमें 02 महिला, 01 अनु. जाति एवं 01 अनु. जनजाति हो	–	सदस्य
(सत्रह)	03 सदस्य, जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स	–	सदस्य
(अठारह)	संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण	–	सदस्य–सचिव

खण्ड (चौदह), (पन्द्रह) एवं (सोलह) के अशासकीय सदस्यों को कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति, दिव्यांगजन को हो रही समस्याओं का समाधान करेगी तथा समस्त शासकीय विभागों/अशासकीय संगठनों से समन्वय कर समग्र पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी और की गई कार्यवाही का परीक्षण एवं मूल्यांकन करेगी।

(3) नामनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य 03 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और नाम निर्दिष्ट सदस्य, पुनः 03 वर्ष के लिये नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) जिला कलेक्टर, यदि ठीक समझे तो, किसी नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात, उसे हटा सकेंगे।

69. **जिला स्तरीय समिति के कृत्य.–** (1) जिले के दिव्यांगजन कल्याण वार्षिक योजना का अनुमोदन करना।

(2) समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर दिव्यांगजनों से संबंधित जानकारी को अद्यतन कराये जाने की समीक्षा।

(3) दिव्यांगजनों को जिले में जारी किये गये दिव्यांगता प्रमाणपत्र तथा यू.डी.आई.डी. कार्ड की समीक्षा करना।

(4) दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों की समीक्षा करना।

(5) शासकीय सेवा में आरक्षण के अनुसार दिव्यांगजनों की नियुक्ति सुनिश्चित कराना।

(6) जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्यरत अशासकीय संस्थाओं के कार्यों का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत समिति के सदस्यों के माध्यम से निरीक्षण कराना।

(7) इस अधिनियम के अधीन संबंधित समस्त विभागों द्वारा दिव्यांगजनों के लिये छः माह के अंतराल में किए गए कार्यों की समीक्षा करना।

(8) दिव्यांगजनों की शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति एवं उनकी समस्याओं के समाधान की समीक्षा करना।

(9) विहित समय सीमा के अन्दर बाधारहित वातावरण की समीक्षा एवं निर्देश जारी करना।

(10) समावेशी भारत अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक विकास के संबंध में समीक्षा एवं आवश्यक निर्देश देना।

(11) संबंधित विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु किए गए हस्तक्षेप, शीघ्र पहचान तथा उपचार आदि और अन्य सुविधाओं एवं संसाधनों की समीक्षा करना।

(12) जिला स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त बजट में से दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा करना।

(13) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करना।

70. **जिला स्तरीय समिति के सदस्यों के भत्ते.– (1)** जिला स्तरीय समिति के अशासकीय सदस्यों को बैठक के प्रत्येक दिन के लिए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा प्रसारित 'वित्त–निर्देश'' के अनुसार राज्य शासन के मण्डल/आयोग/निगम के सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(2) खण्ड (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति के अशासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान, जिला में संधारित निराश्रित निधि/अधिनियम की धारा 88 एवं नियम 100 के अधीन गठित दिव्यांगजन हेतु राज्य निधि या शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

71. **बैठक की सूचना.**– (1) जिला स्तरीय समिति की बैठक साधारणतः जिला मुख्यालय में ऐसे दिनांक को, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, आयोजित की जाएगी।

(2) समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

(3) समिति के सदस्य/सचिव के लिये यह अनिवार्य होगा कि बैठक की सूचना, पन्द्रह दिवस के पूर्व समिति के सदस्यों को दिया जाये।

(4) अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति की बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर सकता है।

72. **पीठासीन अधिकारी.–** अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति, समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, किसी वरिष्ठ सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नामांकित किया जायेगा।

73. **गणपूर्ति.–** समिति की गणपूर्ति एक–तिहाई सदस्यों से पूर्ण होगी, किन्तु यदि गणपूर्ति नहीं होती है, तो न्यूनतम 30 मिनट के लिए बैठक स्थगित किये जाने की स्थिति में, गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

74. **कार्यवृत्त.**— (1) सदस्य—सचिव, बैठक की कार्यवृत्त पुस्तिका रखेगा, जिसमें समिति के सभी सदस्यों, जिन्होंने बैठक में भाग लिया है, के नाम तथा उनके हस्ताक्षर होंगे और इसमें बैठक की समस्त कार्यवाहियों के ब्यौरे भी लिखे जायेंगे।

(2) समिति की आगामी प्रत्येक बैठक में, पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रारम्भ में पढ़ा जायेगा तथा ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जायेगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

75. **बैठकों में संव्यवहार की जाने वाली कार्यवाही.**— सिवाय अध्यक्ष की अनुज्ञा के, किसी कार्यवाही में कोई एजेण्डा प्रविष्ट नहीं किया जायेगा, यदि सदस्य—सचिव ने नियम 71 के उप—नियम (3) के अधीन सूचना नहीं दी है, तो किसी बैठक में ऐसा संव्यवहार नहीं होगा।

. **रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.**— जिला स्तरीय समिति की कोई कार्यवाही को, केवल ऐसी समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि के विद्यमान होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

अध्याय—बारह
दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त

77. **दिव्यांगजन के लिये राज्य आयुक्त.**— अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य शासन दिव्यांगजन के लिये राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगा।

78. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन की नियुक्ति के लिए अर्हता.**— अधिनियम की धारा 79 की उप—धारा (2) के अधीन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित निर्बंधन एवं शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् :—

(1) उसके पास दिव्यांगजनों के पुनर्वास से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो,

(2) आयुक्त दिव्यांगजन की नियुक्ति के लिये आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के अनुसार अंतिम तिथि वाले वर्ष में पहली जनवरी को 65 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो,

(3) यदि वह केन्द्रीय/राज्य शासन के अधीन सेवारत है, तो उसे आयुक्त के पद को धारण करने के पूर्व उस सेवा से सेवानिवृत्ति लेनी आवश्यक है,

(4) केन्द्र सरकार की अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सरकार की सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी, जिन्हें नीति निर्धारण एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव हो,

(5) उसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना चाहिये, अर्थात्:—

(एक) शैक्षणिक अर्हता :—

(क) **आवश्यक :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक,

(ख) **वांछनीय :** सामाजिक कार्य / विधि / प्रबंधन /मानव अधिकार / पुनर्वास/मानविकी में समस्त विषय/दिव्यांगजन की शिक्षा के संबंध में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर।

(दो) **अनुभव** :– निम्नलिखित प्रकार के एक या अधिक संगठनों में निर्धारित स्तरों पर कम से कम 15 वर्ष **का** अनुभव होना चाहिए :–

(क) केन्द्रीय/राज्य शासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/दिव्यांगता से सम्बन्धित मामलों के अर्द्धशासकीय या स्वायत्त निकाय अथवा सामाजिक क्षेत्र (समाज कल्याण/सामान्य प्रशासन/स्वास्थ्य/ शिक्षा/गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास) में प्रथम श्रेणी के पद एवं न्यायिक या अर्द्धन्यायिक निर्णय करने का 03 वर्ष का अनुभव, अथवा

(तीन) दिव्यांगजनों हेतु सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव और प्रख्यात निजी क्षेत्र संगठन में वरिष्ठ कार्यकारी के रुप में पदस्थ होने के दौरान, प्रशासनिक/नीतिगत मामलों में निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिये तथा संगठन के समाज कल्याण योजनाओं को संचालित करने में समर्थ होना चाहियेः

परन्तु यह कि ऊपर वर्णित कुल 15 वर्षों के अनुभव में से, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थियों से विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के अंतिम दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करने का कम से कम विगत 03 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

79. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के लिए निरर्हतायें.**– कोई ऐसा व्यक्ति आयुक्त, दिव्यांगजन के पद के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह –

(1) दिवालिया हो या किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(2) व्यक्ति, जो विकृत चित्त का हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो; या
(3) व्यक्ति, जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में हिंसात्मक प्रवृत्ति तथा नैतिक मूल्यों के विरूद्ध हो; या
(4) व्यक्ति, जिसने राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में शक्ति का दुरूपयोग किया हो तथा दोषी पाया गया हो तथा उसकी सेवाएं लोक हित के विरूद्ध हो;
(5) उसने आयुक्त, दिव्यांगजन के रूप में दो कार्यकाल पूर्ण कर लिए हों।

80. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन की पदावधि.**– आयुक्त, दिव्यांगजन की पदावधि 03 वर्ष के लिये होगी।

81. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन का मुख्यालय.**– आयुक्त, दिव्यांगजन का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ में होगा।

82. **राज्य आयुक्त की नियुक्ति की रीति.—** (1) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ के रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार **जांच**—सह—चयन समिति का गठन किया जाएगा :—

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग	—	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग	—	सदस्य
(तीन)	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	—	सदस्य

(2) आयुक्त, दिव्यांगजन के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(एक) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु संचालक, समाज कल्याण संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन, न्यूनतम दो राष्ट्रीय एवं दो राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्रों, दोनों स्तर पर एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए।

(दो) प्राप्त आवेदनों को राज्य सरकार द्वारा गठित जांच—सह—चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(तीन) राज्य सरकार, जांच—सह—चयन समिति की अनुशंसा पर, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन की नियुक्ति करेगा तथा इस मामले में कोई अपील नहीं होगी।

(चार) जांच—सह—चयन समिति की बैठक की प्रक्रियाएं गोपनीय होंगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(पांच) यदि राज्य सरकार, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के पद के लिये किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाती है, तो चयन प्रक्रिया, पुनः दोहराई जायेगी।

(3) समिति द्वारा अनुशंसित किये गए पैनल में वे अभ्यर्थी, जिन्होंने उप—नियम (1) में वर्णित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया हो तथा अन्य पात्र अभ्यर्थी, जिन्हें समिति समुचित समझे, भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(4) राज्य शासन, जांच—सह—चयन समिति द्वारा अनुशंसित किये गये किसी एक अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन नियुक्त करेगा।

83. **आयुक्त की पदावधि.—** (1) राज्य आयुक्त की पदावधि, उस दिनांक से, जिसको वह पद धारण करता है, से 03 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, होगी।

(2) राज्य आयुक्त की पदावधि 3 वर्ष की होगी और उसे एक बार के लिये विस्तारित किया जायेगा अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करते तक होगा।

84. **राज्य आयुक्त के वेतन और भत्ते.**— अधिनियम की धारा 79 की उप—'धारा (3) के अधीन राज्य शासन, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के वेतन और भत्ते का निर्धारण निम्नलिखित रीति से करेंगेः—

(1) राज्य आयुक्त ऐसे वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा, जैसा कि प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अनुज्ञेय है।

(2) जहां राज्य आयुक्त कोई सेवानिवृत्त शासकीय सेवक या शासन द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त अधिकारी है और जो ऐसी पूर्व सेवा से पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन की रकम को घटा दिया जाएगा। यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले उसका सारांशित मूल्य प्राप्त किया है, वहां पेंशन के ऐसे सारांशित भाग की रकम को भी, वेतन में से घटा दिया जाएगा।

85. **राज्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें.**— (1) राज्य आयुक्त ऐसे अवकाश के लिए हकदार होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(2) राज्य आयुक्त ऐसे यात्रा भत्तें के हकदार होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(3) राज्य आयुक्त ऐसे चिकित्सीय लाभ के लिए हकदार होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

86. **त्यागपत्र और पद से हटाया जाना.**— (1) राज्य आयुक्त, अपने हस्ताक्षर सहित सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को संबोधित एक लिखित सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे।

(2) राज्य शासन किसी व्यक्ति, जो कि राज्य आयुक्त है, को सुनवाई का अवसर देते हुए पद से हटा सकेगा, यदि वह—

(एक) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(दो) अपने कार्यकाल के दौरान किसी संदाययुक्त नियोजन में लगता है और अपने पद के कर्तव्यों से परे कोई क्रियाकलाप करता है;

(तीन) किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है या कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें राज्य शासन की राय में नैतिक अधमता या हिंसा अंतर्वलित है;

(चार) राज्य शासन की राय में, मस्तिष्क या शरीर के अंग—शैथिल्य के कारण या अधिनियम में यथा अभिकथित उसके कर्तव्यों के निष्पादन में गंभीर व्यतिक्रम के कारण उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए अयोग्य पाया जाता है;

(पांच) राज्य शासन की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, 01 माह या अधिक की अनुक्रमिक अवधि के लिए कार्य से अनुपस्थित रहता है;

(छः) राज्य शासन की राय में आयुक्त के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता है कि उसका पद पर बने रहना दिव्यांग व्यक्तियों के हित के विपरित है।

87. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को हटाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी.–** सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को उसकी पदावधि समाप्त होने के पूर्व, पद से हटाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

88. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन का रिक्त पद.–** आयुक्त, दिव्यांगजन का पद रिक्त होने की दशा में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग प्रभारी राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन होंगे।

89. **राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के कार्यालय हेतु कर्मचारीवृंद.–** अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (4) के अधीन राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के द्वारा संपादित किये जाने वाले कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए निम्नलिखित मानव संसाधन उपलब्ध करायेंगे :–

(1) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के कार्यालय हेतु आवश्यक कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) कर्मचारीवृंद, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

90. **राज्य आयुक्त की सहायता के लिए सलाहकार समिति.–** (1) अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन की सहायता के लिये सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा, सलाहकार समिति निम्नानुसार होगी, अर्थात् :–

(एक) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की श्रेणियों के 05 समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 05 विशेषज्ञ, जिनमें 02 महिलाएं होंगी;

(दो) बाधारहित वातावरण के क्षेत्र में निम्नलिखित 03 नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञः–

(क) भौतिक वातावरण में एक विशेषज्ञ,

(ख) परिवहन प्रणालियों में एक विशेषज्ञ,

(ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्य सेवाएं या जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाओं के क्षेत्र में से एक विशेषज्ञ;

(तीन) दिव्यांगजन के नियोजन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ;

(चार) एक विधिक विशेषज्ञ;

(पांच) दिव्यांगजन के लिए राज्य आयुक्त द्वारा अनुशंसित एक विशेषज्ञ ।

(2) आयुक्त को, आवश्यकता के अनुसार विषयवस्तु या डोमेन विशेषज्ञ को आमंत्रित करने की शक्ति होगी, जो उसकी बैठक या सुनवाई में और प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता करेंगे।

(3) सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिये होगी और सदस्य पुनः एक बार नाम निर्देशन के पात्र होंगे।

(4) आयुक्त की सलाहकार समिति के अशासकीय सदस्यों को, बैठक के प्रत्येक दिन के लिए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा प्रसारित 'वित्त–निर्देश'' के अनुसार राज्य शासन के मण्डल/आयोग/निगम के सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की पात्रता होगी।

(5) समिति के सदस्यों को, जो नवा रायपुर/रायपुर में निवास नहीं कर रहे है, वास्तविक यात्रा व्यय, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय है, की पात्रता होगी।

(6) शासकीय सदस्यों को दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय संबंधित विभाग, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, से नियमों के अधीन यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा कि उसने किसी अन्य शासकीय स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है।

(7) समिति के अशासकीय सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, जब तक निर्देश जारी न हो, यह भुगतान राज्य निराश्रित निधि/अधिनियम की धारा 88 एवं नियम 98 के अधीन दिव्यांगजन हेतु गठित राज्य निधि से किया जायेगा।

91. **राज्य आयुक्त द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.**– अधिनियम की धारा 80 के अधीन राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन निम्नानुसार कृत्यों का अनुसरण करेंगेः–

(1) व्यथित व्यक्ति, याचिकाकर्ता के रुप में, कोई वाद/परिवाद, निम्नलिखित का वर्णन करते हुये, वैयक्तिक रूप से या अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से राज्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा या उसे आयुक्त को संबोधित करते हुए स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या ई–मेल द्वारा भेजेगा, अर्थात् :–

(एक) व्यथित व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता;

(दो) विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का नाम, वर्णन और पता, जहां तक उन्हे अभिनिश्चित किया जा सकेगा;

(तीन) परिवाद के सुसंगत तथ्य और वह कब और कहां उदभूत हुआ;

(चार) परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में अभिलेख;

(पांच) वह अनुतोष, जिसके लिए व्यथित व्यक्ति दावा करता है।

(2) राज्य आयुक्त, किसी वाद/परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को संबोधित करते हुए परिवाद की एक प्रति

निर्दिष्ट करेगा तथा निर्देश देगा कि वे, 30 दिवस अथवा राज्य आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित 15 दिवस की विस्तारित अवधि के भीतर, प्रकरण में अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें।

(3) सुनवाई के दिनांक या ऐसे अन्य दिनांक को, जिसको सुनवाई स्थगित की गई है, पक्षकार या उनके अभिकर्ता, राज्य आयुक्त के समक्ष उपसंजात होंगे।

(4) जहां परिवादी या उसका अभिकर्ता, ऐसे दिनांक को राज्य आयुक्त के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयुक्त, व्यतिक्रम पर परिवाद को अमान्य कर सकेगा या गुण–दोष के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(5) जहां विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता, सुनवाई के दिनांक को राज्य आयुक्त के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा, जैसा कि वह विरोधी पक्षकार को समन करने और उसे उपस्थित करने के लिए आवश्यक समझे।

(6) राज्य आयुक्त, यदि आवश्यक हो तो, वाद का एकपक्षीय रूप से निराकरण कर सकेगा।

(7) राज्य आयुक्त ऐसे निबंधनो पर जिन्हें वह उचित समझे, कार्यवाहियों के किसी भी क्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

(8) राज्य आयुक्त, यथासंभव रूप से, विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 3 माह की अवधि के भीतर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

92. **वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.**– (1) अधिनियम की धारा 83 की उप–धारा (1) के अधीन राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर, प्रस्तुत करेगा, जिसमें की गई कार्यवाही का सही और पूर्ण विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(2) अधिनियम की धारा 83 की उप–धारा (2) के प्रावधान के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर भार–साधक मंत्री के अभिप्रमाणन पश्चात् रखा जाएगा।

(3) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :–

(एक) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक स्थापन प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट।

(दो) अधिनियम की धारा 80 और 82 के अधीन ऐसे कृत्य, जो आयुक्त, दिव्यांगजन, निर्वहन करने के लिये सशक्त होंगे और इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण विषयों का निष्पादन।

(तीन) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन द्वारा प्राप्त एवं निराकृत प्रकरणों की संख्या और की गई मुख्य अनुसंशायें।

(चार) अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के पश्चात् राज्य में की गई प्रगति।

(पांच) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन द्वारा सम्मिलित किये गये किसी अन्य विषय और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए गए विषय से संबंधित जानकारी।

अध्याय–तेरह
विशेष न्यायालय

93. **विशेष न्यायालय.–** दिव्यांगजन को त्वरित विचारण प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की सहमति से, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय को इस अधिनियम की धारा 84 के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। नियम 93 के अधीन कार्यवाही के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग नोडल विभाग होगा।

94. **विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति.–** अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय के लिए प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा निम्नानुसार नियुक्त किए जायेंगे:–

(एक) जिसे दिव्यांगजन के प्रकरणों के निराकरण का व्यवहारिक अनुभव हो।

(दो) जिनके पास न्यायालय में अधिवक्ता के रुप में वकालत का 07 वर्षों से अन्यून का अनुभव हो।

(तीन) जिनके पास स्थानीय भाषा एवं रीति–रिवाजों का ज्ञान हो।

95. **लोक अभियोजक के शुल्क और अन्य भुगतान.–** अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (2) के अधीन, विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संचालन करने हेतु अनुज्ञेय है।

अध्याय–चौदह
दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

96. **राज्य निधि का प्रबंधन.–** अधिनियम की धारा 88 की उप–धारा (1) के अधीन दिव्यांगजन के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु राज्य निधि नामक एक कोष का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा :–

(एक) राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करेगा, इसके अतिरिक्त दान, अनुदान, चंदा, आर्थिक सहायता शुल्क, किराया, विज्ञापन एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से भी निधियों की व्यवस्था करेगा।

(दो) छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) के अन्तर्गत निराश्रित निधि, जिलों में संग्रहित निराश्रित निधि की राशि का प्रतिवर्ष 05% तथा राज्य निराश्रित निधि का 10% प्रभाजन कर, निक्षेप किया जायेगा।

(तीन) छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित केन्द्र/राज्य शासन के शासकीय एवं निजी उपक्रमों के अधीन गठित निर्गमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत संग्रहित राशि का 05% प्रतिवर्ष प्रभाजन कर, निक्षेप किया जायेगा।

(चार) डीएमएफ के अन्तर्गत राज्य के खनिजों के खनन् से प्राप्त रॉयल्टी एवं उसका 05% प्रभाजन कर, निक्षेप किया जायेगा।

(पांच) छत्तीसगढ़ राज्य में रेडक्रास समिति के अन्तर्गत जिलों में संग्रहित राशि का प्रतिवर्ष 05% तथा राज्य रेडक्रास समिति के अंतर्गत संग्रहित राशि का 10% प्रभाजन कर, निक्षेप किया जायेगा।

(छः) निधि से सम्बन्धित सभी राशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसा कि शासकीय निकाय द्वारा, राज्य शासन के साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, विनिश्चय किया जाये।

97. **राज्य निधि की प्रबंधन समिति.**— (1) अधिनियम की धारा 88 की उप—धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का प्रबंध करने के लिए एक शासकीय निकाय गठित किया जायेगा, राज्य निधि की प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग,	—	अध्यक्ष
(दो)	प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	—	सदस्य
(तीन)	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़	—	सदस्य—सचिव
(चार)	विभिन्न दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित दिव्यांगता के दो व्यक्ति/संस्था जो चक्रानुक्रम के आधार पर, समिति में (राज्य शासन द्वारा) नामांकित होंगे।	—	सदस्य

(2) समिति की बैठकें समय—समय पर आवश्यकतानुसार होगी, किन्तु प्रत्येक 06 माह में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है।

(3) नामनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों की पदावधि, आदेश के दिनांक से 03 वर्ष की होगी तथा एक और अवधि के लिए सदस्य के रुप में नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) राज्य शासन, यदि ठीक समझे तो, किसी नाम निर्देशित अशासकीय सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसके विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात्, उसे हटा सकेगा।

(5) समिति का कोई भी सदस्य, ऐसी सदस्यता की अवधि के दौरान, निधि का लाभार्थी नहीं होगा।

(6) नामनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को ऐसे अनुज्ञेय यात्रा/दैनिक भत्ते की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को अनुज्ञेय है।

(7) किसी भी व्यक्ति को प्रबंधन समिति में अशासकीय सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, यदि वह—

(एक) किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है या गया है जिसमें राज्य शासन की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है।

(दो) किसी भी समय दिवालिया के रूप में अधिनिर्णित किया जाता है या किया गया था।

98. **निधि का उपयोग.**— (क) अधिनियम की धारा 83 की उप धारा (2) के प्रावधान अनुसार, राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, जो विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्र/राज्य शासन की किसी योजना और कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते है या पर्याप्त रूप में राज्य शासन की किसी योजना या कार्यक्रम के अधीन वित्त पोषित नहीं है।

(2) छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999 के अंतर्गत संधारित निराश्रित निधि का उपयोग, दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ प्रावधानित प्रयोजनों में किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित समिति एवं बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को मानदेय/यात्रा व्यय का भुगतान।

(4) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जैसा कि राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुशंसा किये जाये।

(5) प्रत्येक प्रयोजन हेतु, आयुक्त/संचालक समाज कल्याण अधिकतम रूपये 10 लाख तक व्यय कर सकेगा। अधिक राशि, जो कि पहले ही स्वीकृत है, का आहरण छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग से अनुमोदन पश्चात् किया जा सकेगा।

(ख) समिति, ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, लेखापाल सहित कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि राज्य निधि के प्रबंधन के देखभाल और उपयोग के लिये उसे उचित प्रतीत हो।

99. **बजट.**— (1) दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि में प्राप्त राशि, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा सूचीबद्ध और चिन्हित बैंक में रखा जायेगा।

(2) राज्य निधि का बैंक से आहरण आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय के अनुमोदन से द्वि—हस्ताक्षर प्रणाली के अधीन होगा।

(3) राज्य निधि के वित्तीय लेखाओं का अंकेक्षण प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से प्रतिवर्ष कराया जाएगा। एक ही चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा लगातार 3 बार अंकेक्षण नहीं कराया जायेगाः

परन्तु विभाग द्वारा राज्य निधि के वित्तीय लेखों के अंकेक्षण हेतु अन्य संस्था का मनोनयन भी प्रबंधन समिति के अनुशंसा से किया जा सकेगा।

(4) संचालनालय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य निधि के लेखाओं का अंकेक्षण, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से करा कर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान राशि का अंकेक्षण प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रशासकीय विभाग को कभी भी राज्य निधि के लेखों का हिसाब–किताब मांगने का अधिकार होगा और संचालनालय, समाज कल्याण, इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

100. **प्रशासकीय/वार्षिक प्रतिवेदन.**– (1) छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग विभागीय वार्षिक/प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि पर एक अध्याय सम्मिलित करेगा।

(2) राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना/कार्यक्रमों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त आबंटन (योजना/मदवार) से कुल लाभान्वित हितग्राहियों में से दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय (व्यय) और भौतिक उपलब्धि की संख्यात्मक जानकारी प्रतिशत सहित उल्लेख किये जायेंगे।

101. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैः

परन्तु उक्त नियम के निरसन के होते हुए भी, उक्त नियम के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

कार्यालय का नाम ....
जिला..(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–एक
(नियोक्ता की विवरणी)
(नियम 30 (1) देखिये)

1. 31 मार्च 20......... को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए विशेष रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली 06 मासिक विवरणी।
2. नियोक्ता का नाम और पता ....
3. मुख्यालय ....
4. शाखा अधिकारी ....
5. कार्यवाही/मुख्य कार्यकलाप की प्रकृति ....

(क) रोजगार

शासकीय स्थापन/संस्था के पे–रोल पर व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत प्रोपाइटर/भागीदार/कमीशन अभिकर्ता/आकस्मिक संदत्त और ठेका श्रमिक है, किन्तु जिसमें अंशकालिक कर्मकार और प्रशिक्षु नहीं है। (इन आकंडों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय शासकीय/स्थापन/संस्था द्वारा किया जाता है)।

प्रथम अर्द्ध वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को				
अंधता और निम्न दृश्यता	बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क, घात, उपचार पश्चात कुष्ठ मुक्त, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग	स्तंभ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रतिवेदन के अधीन अर्द्ध वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को				
अंधता और निम्न दृश्यता	बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क, घात, उपचार पश्चात कुष्ठ मुक्त, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग	स्तंभ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता

		है		है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. दिव्यांगताग्रस्त पुरूष ....
2. दिव्यांगताग्रस्त महिला ....
3. दिव्यांगताग्रस्त तृतीय लिंग ....

योग ....

(क) यदि छः माह के दौरान वृद्धि या कमी 06 प्रतिशत से अधिक है तो रोजगार मे कमी या वृद्धि के मुख्य कारणो को उपदर्शित करें।

2. रिक्तियां :– रिक्तियां, जिनकी कुल परिलब्धियां प्रतिमास विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार है और जो 06 माह की अवधि से अधिक है।

(क) छः माह के दौरान उदभूत और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा इस अवधि के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या (दिव्यांग पुरूष और महिलाओं के लिए पृथक् आंकडे दिए जाएं)

उद्भूत	**अधिसूचित**	**भरी गई**	**स्त्रोत**
(1)	(2)	(3)	(4)

(उस स्त्रोत का वर्णन करें, जिसमें भरी गई है)

स्थानीय/विशेष रोजगार कार्यालय	**साधारण रोजगार कार्यालय**
(1)	(2)

(ख) 2 (क) द्वारा रिपोर्ट के अधीन छः माह के दौरान उदभूत सभी रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण ....

3. **जनशक्ति की कमी :–**
उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/ नहीं भरे गये पद ....

व्यवसाय या पद का नाम ....

न भरी गई रिक्तियां/पद (दिव्यांगता अनुसार) ....

अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अनुभव	अनुभव आवश्यक नहीं
(1)	(2)	(3)

कृपया किसी अन्य व्यवसाय को सूचीबद्ध करें, जिसके लिए शासकीय स्थापन/संस्था ने उपयुक्त आवेदकों को अभिप्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

तारीख ....

सेवा में,

रोजगार कार्यालय
....
....
....

टीप : यह विवरणी, 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त हुए छः माह के लिए है और इसे सम्बन्धित छमाही के अंत के पश्चात् 30 दिवस के भीतर विशेष रोजगार कार्यालय को भेज दिया जायेगा।

कार्यालय का नाम ....
जिला...(छत्तीसगढ़)

प्ररूप—दो
(दिव्यांगजन नियोक्ता की विवरणी)
(नियम 30 (1) देखिये)

स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय को दो वर्षो में एक बार प्रस्तुत की जाने वाली व्यवसाय विवरणी

1. नियोक्ता का नाम और पता ....
2. कार्यवाही की प्रकृति ....

(कृपया वर्णन करें कि सरकारी स्थापन क्या निर्मित करता है या उसका प्रधान कार्यकलाप क्या है)

(1) सरकारी स्थापन के पे—रोल पर .... विनिर्दिष्ट तारीख को व्यक्तियों की कुल संख्या (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापन द्वारा किया जाता है (दिव्यांग पुरूषों, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लिए पृथक आंकड़े दिए जाएं।

(2) ऊपर मद 1 में दिए गए सभी कर्मचारियों के व्यवसाय का वर्गीकरण (कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या नीचे पृथकत : दें।)

व्यवसाय .... कर्मचारी की संख्या ....

सटिक अभिव्यक्ति का उपयोग	दिव्यांग पुरूष	दिव्यांग महिला	दिव्यांग तृतीय लिंग	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) : शिक्षक (घरेलू / विज्ञान) कार्य हेतु अधिकारी (बीमांकक) : सहायक निदेशक (धातु विज्ञान) : अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री) : अनुदेशक (बढई) पर्यवेक्षक (दर्जी) : फिटर (आंतरिक दहन दंजन) : निरीक्षक : (स्वच्छता, कार्यालय अधीक्षक, प्रशिक्षु वैद्युत मिस्त्री)	कृपया जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यवसाय में अनुमानित रिक्तियों की संख्या दें, जिन्हें आपके द्वारा अगले कलैंडर वर्ष में सेवानिवृत्ति के कारण भरा जाएगा।
योग	

तारीख ....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,

रोजगार कार्यालय
(कृपया यहां अपने स्थानीय रोजगार कार्यालय के पता का उल्लेख करें)

टीप :– कॉलम–2 के अधीन कॉलम 5 का योग कॉलम–1 के सामने दिए गए आंकड़ों के अनुरूप होना चाहिए।

कार्यालय का नाम ....
जिला..(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–तीन
(दिव्यांगजन नियोक्ता की विवरणी)
(नियम 31 देखिये)

1. नियोक्ता का नाम और पता ....
2. मुख्यालय ....
3. शाखा मुख्यालय ....
4. कार्यवाही / मुख्य कार्यकलाप की प्रकृति ....

शासकीय स्थापन / संस्था के पे–रोल पर व्यक्तियों की कुल संख्या (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय शासकीय स्थापन / संस्था द्वारा किया जाता है)।

स्थापन / संस्था के पे–रोल पर दिव्यांगजनों (दिव्यांगता–वार) की कुल संख्या (इन आंकड़ों में दिव्यांगताग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय स्थापन / संस्था द्वारा किया जाता है।

(क) सभी कर्मचारियों की व्यवसायिक अर्हता (नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या पृथकत : दें)

व्यवसाय	दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या				
	पुरूष	महिला	तृतीय लिंग	योग	
जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) :					कृपया जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यवसाय में अनुमानित रिक्तियों की संख्या दें, जिन्हें आपके द्वारा अगले कलैंडर वर्ष में सेवानिवृत्त के कारण भरा जाएगा।
शिक्षक (घरेलू / विज्ञान)					
सहायक निदेशक (धातु विज्ञान)					
वैज्ञानिक सहायक (रसायनज्ञ) :					
अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री):					
अनुदेशक (बढ़ई) :					
योग					

(ख) यदि छः माह की अवधि के दौरान वृद्धि या कमी 06 प्रतिशत से अधिक है तो रोजगार में कमी या वृद्धि के मुख्य कारणों को उपदर्शित करें।

2. **रिक्तियां** :–रिक्तियां, जिनकी कुल परिलब्धियां प्रतिमास विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार हैं और जो छः माह की अवधि से अधिक से है।

(क) छः माह की अवधि के दौरान उद्भूत और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा छः माह के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या, जो अधिनियम की परिधि में आती हैं

उद्भूत	**अधिसूचित**	**भरी गई**	**स्त्रोत**
	स्थानीय विशेष रोजगार कार्यालय	साधारण नियोजन	उस स्त्रोत का वर्णन करें, जिससे भरी गई है।
(1)	(2)	(3)	(4)

(ख) 2 (क) द्वारा रिपोर्ट के अधीन छः माह के दौरान उद्भूत सभी रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण ....

3. **जनशक्ति की कमी**

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/न भरे गए पद

<table>
<tr><td colspan="2">व्यवसाय/पद का नाम</td><td colspan="2">भरी न गई रिक्तियां/पद</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)</td><td colspan="2">(2)</td></tr>
<tr><td>अनिवार्य अर्हता</td><td colspan="2">अनिवार्य अनुभव</td><td>अनुभव अपेक्षित नहीं है</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="2">(4)</td><td>(5)</td></tr>
</table>

कृपया किसी अन्य व्यवसाय को सूचीबद्ध करें, जिसके लिए सरकारी स्थापन ने उपयुक्त आवेदकों को अभिप्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

तारीख ....

जिला चिकित्सालय ....
जिला..(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–चार
दिव्यांगजन द्वारा दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन
[नियम 51(1) देखिये]

1. नाम ....
(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)

2. पिता का नाम .... माता का नाम ....

3. जन्म की तारीख ..../........../..........
(तारीख) .... (मास) .... (वर्ष) ....

4. आवेदन की तारीख को आयु .... वर्ष

5. लिंग :– पुरूष/महिला/तृतीय लिंग

6. पता :– ....

(क) स्थायी पता ....

(ख) वर्तमान पता (पत्राचार आदि के लिए) ....
....

(ग) वर्तमान पते पर कब से रह रहे/रही है।
पता ....

7. शैक्षिक स्थिति (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)
(एक) स्नातकोत्तर,
(दो) स्नातक,
(तीन) डिप्लोमा,
(चार) हायर सैकण्डरी,
(पांच) हाई स्कूल,
(छः) मिडिल,
(सात) प्राइमरी,
(आठ) अनपढ़,

8. व्यवसाय ....

9. पहचान के चिन्ह (1) .... (2) ....

10. दिव्यांगता की प्रकृति ....

11. अवधि／समय जब से दिव्यांगता आई :– जन्म／वर्ष से ....

12. (एक) क्या आपने पूर्व में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए कभी आवदेन किया है ? हां／नहीं ....

(दो) यदि हां, तो ब्यौरे :

(क) किसी प्राधिकारी की और किस जिले में आवेदन दिया गया ....

(ख) आवेदन का परिणाम ....

13. क्या पूर्व में आपकों कोई दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो कृपया सही प्रति संलग्न करें।

घोषणा : मैं घोषणा करता／करती हूँ कि उपरोक्त कथित सभी विशिष्टयां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई भी तात्विक जानकारी छुपाई या मिथ्या कथन नहीं बताई गई है। मैं आगे यह भी कथन करता हूँ कि यदि आवेदन में कोई गलती पाई जाती है, तो मैं लिए गए किसी भी प्रकार के लाभ समपहरण और विधि के अनुसार अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊँगा／होऊँगी।

....

दिव्यांग व्यक्ति या मानसिक मंदता, ऑटिज्म प्रमस्तिष्क अंगघात और बहु निःशक्तता में उसके／उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान

तारीख : ....

स्थान : ....

संलग्न : ....

1. निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)

(क) राशन कार्ड,
(ख) मतदाता पहचान–पत्र,
(ग) ड्राइविंग लाईसेंस,
(घ) बैंक पासबुक,
(ङ) पैन कार्ड,
(च) पासपोर्ट,
(छ) आवेदक के पते को उपदर्शित करता टेलिफोन, बिजली, पानी और अन्य उपयोगिता संबंधी बिल,
(ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित पटवारी या शासकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र,
(झ) दिव्यांग व्यक्ति, निराश्रित, मानसिक रूग्ण इत्यादि के लिए आवासीय संस्था के वासी की दशा में, ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास का प्रमाण–पत्र,

2. दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो

....

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तारीख : ....

स्थान : ....

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

जिला चिकित्सालय ....
जिला...(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–पांच

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंगोच्छेदन या अंगों की पूर्ण स्थाई अंगघात, बौनापन और दृष्टिबाधित की दशा में)

[नियम 52 (1) देखिये]

(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या .... तारीख ....
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....जन्म की तारीख .... आयु ....वर्ष, पुरूष/महिला/तृतीय लिंग .... रजिस्ट्रेशन नं. ....मकान नं. .... वार्ड/गांव/गली .... डाकघर ....जिला............. .... राज्य .... का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है कि सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि :–

(क) यह प्रकरण

- चलन संबंधी दिव्यांगता
- बौनापान
- नेत्रहीन का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर ठीक का निशान लगाएं)

(ख) उनके प्रकरण में निदान .... है।

(ग) उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतो (............ मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थापना .... % (अंक में) .... प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई चलन दिव्यांगता/बौनापन/ नेत्रहीनता है।

2. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये है :–

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर और मुहर)

जिला चिकित्सालय ....
जिला..(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–छः
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(बहु दिव्यांगता की दशा में)
[नियम 52 (1) देखिये]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्तियों का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या : ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म की तारीख .... आयु ....वर्ग, पुरूष/महिला/तृतीय लिंग .... रजिस्ट्रेशन नं. ....मकान नं. .... वार्ड/गांव/गली ....डाकघर ....जिला .... छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और हम संतुष्ट हैं कि

(क) यह प्रकरण ***बहु दिव्यांगता*** के लिए है। उनकी स्थाई शारीरिक क्षति/दिव्यांगता को निम्नलिखित दिव्यांगताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है।

स. क्र.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक दिव्यांगता/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्क घात			
6.	अम्ल हमले से पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	श्रवण क्षति			
10.	सुनने में कठिनाई			
11.	वाक और भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			

15.	मनसिक रूग्णता			
16.	क्रॉनिक स्त्रायविक स्थिति			
17.	बहुल काठिन्य			
18.	पार्किन्सन रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त के अनुसार उनकी समग्र स्थाई शारीरिक क्षति मार्गदर्शक सिद्धांतों (......... मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार इस प्रकार है :–
अंकों में .... प्रतिशत
शब्दों में .... प्रतिशत

2. यह स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील/इसमें सुधार होने की संभावना/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(एक) आवश्यकता नहीं है,
या
(दो) .... वर्ष .... मास के पश्चात् अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक .... विधिमान्य रहेगा।
(तारीख) .... (मास) .... (वर्ष) ....

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर
 # अर्थात् एक ऑख/दोनों ऑखें
अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक के निवास के प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए है :–

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी/अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो

जिला चिकित्सालय ....
जिला...(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–सात
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(प्ररूप–पांच और प्ररूप–छः में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)
[नियम 52 (1) देखिये]

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या : .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म की तारीख .... आयु .... वर्ष, पुरूष/महिला/तृतीय लिंग .... रजिस्ट्रेशन (तारीख/मास/वर्ष) नं. .... मकान नं. .... वार्ड/गांव/गली .... डाकघर .... जिला .... छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि यह .... दिव्यांगता का प्रकरण है। इसकी शारीरिक क्षति/दिव्यांगता का मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार (.. .... मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट किया जाना है) किया गया है तथा यह निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया हैं :–

स. क्र.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चलन संबंधी दिव्यांगता			
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	ठीक किया हुआ कुष्ट			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्क घात			
6.	अम्ल हमले से पीड़ित			
7.	कम दृष्टि			
8.	अंधत्व			
9.	बधिर			
10.	श्रवण क्षति			
11.	वाक और भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			

13.	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
15.	मानसिक रूग्णता			
16.	क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति			
17.	बहुल काठिन्य			
18.	पार्किन्सन रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

जो लागू न हो उसे काट दे।

2 उपरोक्त स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील है इसमें सुधार होने की संभावना/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुर्नमूल्यांकन की :—

(एक) आवश्यकता/अपेक्षित नही है,

या

(दो) .... वर्ष .... मास के पश्चात अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र तारीख .... मास .... वर्ष .... तक विधिमान्य रहेगा।

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

 # अर्थात् एक ऑख/दोनों ऑखे

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है :—

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)
(नाम और मुहर)
हस्ताक्षर

(चिकित्सा प्राधिकारी, जो शासकीय सेवक नही है, के द्वारा जारी प्रमाणपत्र की दशा में)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/शासकीय अस्पताल के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर और मुहर)

टिप्पणी : यदि यह प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवा में नही है, के द्वारा जारी किया जाता है तो यह विधिमान्य तभी होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

जिला चिकित्सालय ....
जिला..(छत्तीसगढ़)

प्ररूप–आठ
दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की सूचना
(नियम 52(4)देखिये)

संख्या .... तारीख :............................

सेवा में,

(दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए
आवेदक का नाम और पता)

विषय : दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आवेदन का अस्वीकार किया जाना।

महोदय / महोदया,

कृपया निम्नलिखित तारीख की दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के आवेदन का संदर्भ ले :

....

2. पूर्वोक्त आवेदन के अनुसरण में आपकी निम्नलिखित हस्ताक्षरी / चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा .... को जांच की गई और मुझे यह सूचित किया जा रहा है कि नीचे दिए गए कारणों से आपके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना संभव नही है :–

(एक)

(दो)

(तीन)

3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किये जाने से व्यथित है तो आप इस विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध करने के लिए .... को अभ्यावेदन दे सकते है।

भवदीय,

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)
(नाम और मुहर)

समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़

प्ररूप—नौ
अशासकीय संस्थाओं का पंजीयन प्रमाणपत्र
(अधिनियम की धारा 50 एवं नियम 44 (7) देखिये)

क्रमांक............................ दिनांक........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि अशासकीय संस्था .... जो जिला .... छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 50 एवं नियम 44 (7) के अधीन दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिनांक .... से पंजीयन किया जाता है। दिनांक ....को संस्था को पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के दिनांक से 05 वर्ष के लिए वैध होगा।

पंजीयन समाप्ति का दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी
समाज कल्याण, संचालनालय
छत्तीसगढ़

समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़

प्ररूप–दस
अशासकीय संस्थाओं के पंजीयन का नवीनीकरण प्रमाणपत्र
(अधिनियम की धारा 51 (5) एवं नियम 44 (11) देखिये)

क्रमांक............................ दिनांक....................

यह प्रमाणित किया जाता है कि अशासकीय संस्था .... जो जिला .... छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 51 (5) एवं नियम 44 (11) के अधीन दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिनांक .... को पंजीयन किया गया था। दिनांक .... को संस्था के पंजीयन का नवीनीकरण आगामी 03 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

पंजीयन का नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए वैध होगा।

पंजीयन का नवीनीकरण समाप्ति दिनांक ....

सक्षम प्राधिकारी
समाज कल्याण, संचालनालय
छत्तीसगढ़

अटल नगर, दिनांक 16 मई 2023

क्रमांक एफ 7–58/2018/26. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16–05–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 16th May 2023

NOTIFICATION

No. F 7-58/2018/26. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), the State Government, hereby, makes the following rules relating to the rights and benefits of Persons with Disabilities, namely :-

RULES

CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2023.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from date of its publication in Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016);

(b) "**Disability Certificate**" means certificate issued by certifying authority under Section 57 of the Act;

(c) "**Executive Magistrate**" means Magistrate appointed under Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);

(d) "**Family**" means mother-father (biological/step parents) brother-sister-third gender (unmarried), son-daughter-third gender child (dependent) of persons with disabilities and legal guardians;

(e) "**Form**" means Form appended to these rules.

(f) "**Medical Board**" means medical board constituted to ascertain the disabilities in persons on District/Division/State Level;

(g) "**Person with Benchmark Disability**" means person with 40% or more disability;

(h) "**Persons with Disabilities**" means persons described under clause (r), (s), (t) and (zc) of Section 2 of the Act and person with specified disability mentioned in the Schedule who holds disability certificate;

(i) "**Registration of Institution**" means registration certificate issued by competent authority to establish or maintain any institution for persons with disabilities under Section 50 of the Act;

(j) "**State**" means State of Chhattisgarh;

(k) "**State Commissioner**" means State Commissioner, Chhattisgarh for Persons with Disabilities appointed under Section 79 of the Act;

(l) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER – II
RIGHTS AND ENTITLEMENTS

3. Organization not to discriminate on the basis of disability.- (1) Head/In-charge of the organization shall ensure that there shall be no misuse of rights of persons with disabilities and such persons are not deprived of their benefits under the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Act.

(2) Each organization shall nominate one officer/employee as Nodal Officer to deal with matters related to persons with disabilities, if nodal officer is received the grievances then he shall dispose it within 60 days.

(3) If any government or any private establishment employing more than twenty persons, receives any complaint of discrimination on the basis of disability, then it shall:-

(i) initiate action in accordance with the provisions of the Act, or

(ii) inform aggrieved person in writing that the action taken is proportionately sufficient.

(4) If aggrieved person makes a complaint before State Commissioner, Persons with Disabilities Chhattisgarh, then his grievance shall be redressed within the period of 60 days.

(5) Concerned government or other private establishment shall ensure implementation of disposal of grievance within the period of 90 days.

(6) Women and Children with Disabilities under the provisions of sub-section (2) of Section 4 of the Act shall have a right on an equal basis to freely express their views on all matters affecting them and provide them appropriate support keeping in view their age and disability.

(7) Information with regard to disposal and pending grievances received by each establishment every year shall be made available to the Nodal Officer, State Commissioner, Persons with Disabilities.

4. **State Committee for Research on Disability.-** (1) The State Government shall, by Notification, constitute a body to be known as the State committee for research on disabilities to exercise the powers conferred under sub-clause (ii) of sub-section (2) of Section 6 of the Act. Such State Committee shall consist of-

(i) Person with wide experience of research in Science or Medical (Disability or related to disability) nominated by the State Government.	- Chairperson
(ii) Commissioner cum Director, Directorate of Technical Education, Chhattisgarh	-Member
(iii) Director, Directorate of Social Welfare, Chhattisgarh	-Member-Secretary
(iv) Director, Directorate of Women and Child Development, Chhattisgarh	-Member
(v) Director, Directorate of Medical Education, Chhattisgarh	-Member
(vi) Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur Chhattisgarh	-Member
(vii) Head of Department, Pt. Jawahar Lal Nehru Medical College, Raipur (Related expert of V.I and H.I.)	- Member
(viii) Head of Department, Social Science, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	- Member
(ix) Five persons of National/State Organization representing five different disabilities as specified in the Act	- Member
(x) Five persons as representatives of aided voluntary organizations by Social Welfare Department working in the field of disability, who shall represent five groups of specified disabilities in the Schedule of the Act	-Member

State Government shall nominate the names of the non-government members of clause (i), (ix) and (x), but there shall be at least one female representative in the representatives of said voluntary organizations.

(2) Committee shall invite specialist in the field of disability working in the State or outside the State as specially invited member.

(3) Term of office of nominated members shall be three years from the date of order of nomination and nominated member shall be eligible for re-nomination for one more term.

(4) The State Government may, if it thinks fit, remove any nominated member before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(5) It shall be mandatory to give notice of meeting to the committee members before 15 days.

(6) The quorum of the meeting will be made only if one-third of the members are present in the meeting of the committee, but the quorum is not completed, the quorum will not be mandatory in case the meeting is adjourned for at least 30 minutes.

(7) As per requirement, Committee shall constitute separate sub-committees for Health, Technical, Education and Employment and Rehabilitation of Persons with disability, these sub-committees shall conduct meetings at interval of thirty days and shall complete the research work within one year and submit the same to the committee.

(8) May contract with any expert person or organization for research work and shall be expended the maximum Rs. Five Lakhs per research every year for this purpose.

(9) Judgment/Order passed by the Committee shall be appealable before Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department within 60 working days; judgment of Appellate Authority shall be final and binding.

(10) Representative member of voluntary organization and specially invited member shall be eligible for such permissible travel allowance and daily allowance as per “financial-instructions” issued by the Government of Chhattisgarh, Finance and Project Department for President at President rate and member at member rate for Board/Commission/ President of Corporation/Member of State Government.

(11) Payment of permissive travel/daily wages to non-government President/Members of the Committee as specified in clause (ix) and (x) shall be made from State Fund constituted for Persons with Disabilities or by Government in accordance with the directions issued from time to time under Section 88 and Rule 98 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016/State Destitute Fund.

(12)The State Government shall provide the committee of such clerical and other human resources as the State Government may consider necessary.

5. **Any deficiency in action during constitution of committee shall not be considered illegal.-** Any action of the committee shall not be illegal merely on reasons like existence of vacancy or any deficiency of the organizational committee.

6. **Persons with Disabilities not a subject of research.-** No persons with disabilities shall be a subject of research unless there is some effect of research upon his body physically or mentally.

7. **Procedure to be followed by Executive Magistrate.-** For the purpose of proceedings in furtherance of complaints made under Section 7 of the Act, the Executive Magistrate shall follow the procedure laid down under the provisions of Sections 133 to Section 143 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

8. **Protection and safety.-** (1) Under sub-section (1) of Section 8 of the Act, the persons with disabilities shall have equal protection and safety in situations of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disasters.

(2) Under sub-section (2) of Section 8 of the Act, the State Disaster Management Authority shall take appropriate measures to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined under clause (e) of Section 2 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) for the safety and protection of persons with disabilities.

(3) Under sub-section (3) of Section 8, the District Disaster Management Authority constituted under Section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) shall maintain record of details of persons with disabilities in the district and take suitable measures to inform such persons of any situation of risk/disaster so as to enhance disaster preparedness and appropriate rehabilitation.

(4) With the co-ordination and contact with the Director, Social Welfare at State Level and Joint/Deputy Director at District Level, necessary equipments related to disaster management shall be arranged to persons with disabilities.

(5) Commodities used during rescue work in the situation of disaster must be barrier free commodity and resources. In the disaster management team, for hearing impaired people, there should be a person who could convey and use sign language. There should be sign/mark to inform about important disabilities and such communications shall be displayed.

(6) The Revenue and Disaster Management Department shall be the Nodal Department for the action provided under sub- rule (1), (2), (3) and (5) of rule 8.

9. Home and family.-(1) Under sub-section (1) of Section 9 of the Act, no disabled boy/girl/third gender shall be separated from his or her parents on the ground of disability except upon an order of Competent Court, if required, in the best interest of the disabled boy/girl/third gender.

(2) Where the family is unable to take care of a disabled boy/girl/third gender, who is less than 18 years of age, Child Welfare Committee (as per the provisions of Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2016 (No. 2 of 2016)) shall place such child with his nearest relatives and failing that within the community in a family setting or in exceptional cases in children home run by the Government or non-governmental organization under the Juvenile Justice Act and Rights of Persons with Disabilities Act.

(3) Where the family is unable to take care of a persons with disability who is more than 18 years of age, the Court of Sub-Divisional Magistrate shall place such persons with disabilities with his or her near relatives under the provisions of the National Trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities act, 1999 (No. 44 of 1999) or otherwise and failing that within the community in a family setting or in exceptional cases, shall decide/permit to place in children homes run by government/non-government organizations under the provisions of Rights of Persons with Disabilities Act.

(4) Decision taken under sub-section (2) and (3) shall not affect the Mental Health Care Act, 2017 (No. 10 of 2017).

10. Reproductive rights.- (1) Mitanin, Anganbadi workers and officers of Health Department etc. shall give appropriate information and awareness to the persons with disabilities with regard to reproduction and family planning.

(2) Before marriage, advice shall be given with regard to the disability caused due to blood related disorder and genetic disorder.

(3) If any issue with regard to reproduction and family planning of persons with disabilities comes into light that during pregnancy/upon giving birth disabled woman shall face problem or may have risk in the health and upcoming of new born baby, then in such a situation of the following “Examination and Suggestion Committee” shall be constituted at District Level:-

(i) Chief Medical and Health Officer, Health Department - Chairperson

(ii) District Programme Officer, Department of Woman and Child Development - Member

(iii) Joint/Deputy Director, Social Welfare - Proposer

Committee shall examine and send report to the Collector within 3 days. District Collector shall take appropriate decision within 7 days. Appeal against the decision of Collector can be made before the Commissioner within 7 days, upon which Commissioner shall take decision within 7 days giving final decision and dispose the case.

(4) Health and Family Welfare Department shall be as Nodal Department for the proceedings under sub-rule (1) and (2) of rule 10.

11. Accessibility to Polling Stations.- Under Section 11 of the Act, State and District Election Officer shall ensure that all polling stations are accessible and barrier free to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are easily understandable and accessible to them in Lok Sabha, Vidhan Sabha, Municipal, Panchayat, Co-operative and all other election processes.

12. Access to Justice.- (1) Under sub-section (1) of Section 12 of the Act, justice shall be made available on the basis of disability.

(2) Under sub-section (3) of Section 12 of the Act, the State Legal Services Authority constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) shall ensure that persons with disabilities have access to any scheme, programme, facility or service run by State/Central Government made for the purposes of their welfare are provided to them.

(3) Hearing of matters related to persons with disabilities shall be given preference in all Courts, Boards and Commissions and there shall be accessible arrangement in the campus for persons with disabilities.

(4) It shall be the duty of State/District Legal Services Authority to make available a Government/Private Lawyer trained or known in sign language at State/District Level.

(5) Apart from website of all departments of State Government, registry/evidence documents/file etc. related to persons with disabilities shall be made accessible/readable for persons with disabilities.

13. Provision for Guardianship.- (1) Under sub-section (2) of Section 14 of the Act, for the purpose of action to be taken for guardianship, procedure laid down in the National Trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities act, 1999 (No. 44 of 1999) shall be followed.

(2) Preference shall be given to a woman for appointment as legal guardian of a disabled woman.

14. Social Awareness.- Under Section 15 of the Act, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department shall designate Nodal Officer as per guidelines issued in this regard from time to time develop social awareness towards persons with disabilities and general public.

CHAPTER – III
EDUCATION

15. Duty of Educational Institutions.-(1) Schools and training centers run by concerned department of the State shall be developed to provide inclusive education to persons with disabilities and the concerned department shall issue appropriate directions to the departmental district officers as Nodal Officers.

(2) State Government shall ensure that any disabled student shall not be deprived of admission and education in Government/recognized non-government educational institution on the ground of disability.

(3) Disabled students shall be given consolidated free education under Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No.35 of 2009).

(4) If facilities as per sub-rule (2) and (3) are not provided, then disabled student shall make a complaint in the District Department/ Nodal Officer of concerned district.

(5) District/Nodal Officer shall take the decision within 15 working days of receipt of complaint.

(6) Appeal against decision of District/Nodal Officer shall be made before Departmental Commissioner/Director, disposal of complaint shall be done within 07 working days from the date of receipt of appeal.

(7) Disciplinary action shall be taken by the State Government against concerned Principal/Officer in-charge of Government educational institution in case of contempt of decision taken under sub-rule (6).

(8) In case of recognized non-government institution, recognition of institution shall stand cancelled, State Government shall authorize District Department/Nodal Officer by issuing proper directions to ensure that compliance.

(9) Buildings of all Government/Non-government educational institutions shall be accessible for disabled students, if building of any educational institution is not accessible for disabled students then concerned department shall make such building accessible for disabled students in a maximum period of 03 years.

(10) Concerned department shall issue proper guidelines as per the provisions of the Act for prescribing syllabus, in accordance with disability and to give extra time for examination and arrangement of assistant for disabled students/trainees.

(11) Nodal Officer shall give information with regard to disabled students studying in institution on the basis of disability defined under the Right of Persons with Disabilities Act, 2016.

(12) Nodal Officer shall conduct counseling and dispose of the complaint, it shall be mandatory to give information with regard to education/trainee persons with disabilities to the Joint/Deputy Director, District Office Social Welfare at district level within 15 working days at the beginning and end of the educational session.

(13) Out of sanctioned seats, 15% of the seats shall be reserved for disabled students in the hostels run by all the government/aided organizations of the State Government; concerned department shall issue guidelines in this regard.

(14) It shall be mandatory to develop one or as per requirement more than one school/ college and skill development centre as Model of inclusive education/employment in Janpad Panchayat/District Headquarter of each district at initial stage.

16. Specific measures to promote and facilitate inclusive education.- (1) It shall be the duty of Government of Chhattisgarh, Education Department to identify school going children with disabilities of the State in the age group of 06 to 18 years and first survey shall be conducted within a period of 2 years from the date of coming into force of this Act.

(2) For immediate identification of children with disabilities in the State in the age group of 0 to 06 years; after survey and identification it shall be transferred for further action by Department of Women and Child Development,

(3) In order to prevent and treat disabilities among children, parents shall be given training and counseling through Anganbadi workers and it shall be the duty of in-charge department to train human resources of Anganbadi centers.

(4) Government of Chhattisgarh, Department of Women and Child Development shall be Nodal Department for providing facilities and resources to the disabled residents of hostels in accordance with the provisions of Juvenile Justice Act, 2015.

CHAPTER – IV
SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

17. Vocational training and self employment.-(1) Under sub-section (1) of Section 19, syllabus of aided ITI, Polytechnic, Engineering and Mukhyamantri Kaushal Vikas Programmes run by State Government for providing professional training to persons with disabilities shall be developed as per facility to persons with disabilities.

(2) In order to provide benefit from professional training to persons with disabilities, separate unit cost and batch size shall be fixed and it shall be ascertained to have special teachers (trained in visually impaired, hearing impaired, physical disability) for persons with disabilities on the basis of disability.

(3) It shall be the duty of Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department and other loan providing departments to provide loan at concessional rates to persons with disabilities for self-employment.

18. Manner of publication of equal opportunity policy.-(1) Under Section 2 of the Act, every establishment shall publish policy of equal opportunity for persons with disabilities as per defined provision/type of disability.

(2)Preference shall be given by the establishment to display policy of equal opportunity on its website, in absence of website it shall be displayed at a conspicuous place in the campus.

(3) In addition to others, following shall also be the provisions in policy of equal opportunity of Government and private organizations having twenty or more employees, namely:-

(i) Facilities and services made available to the persons with disabilities that shall enable them to perform their duties effectively in the establishment;

(ii) List of entire posts for persons with disabilities in the organization;

(iii) Persons with disabilities shall be given preference in the method of selection on various posts, training after/before appointment, promotion, transfer, posting, special leave, allotment of accommodation and other facilities;

(iv) Nodal Officer shall be nominated by all the establishment for taking care of appointed persons with disabilities, provide benefit of assisted devices, barrier free access and to other provisions;

(v) Nodal Officer shall examine the facilities and services for such employees.

(4) Facilities and services for persons with disabilities by private establishment having less than twenty employees under the policy of equal opportunity shall be contained within it so that they are able to perform their duties effectively in the establishment.

(5) Each establishment shall provide information disposal complaint received every year and complaints pending etc. to the Nodal Officer, State Commissioner persons with disabilities.

19. Mode of Maintenance of records by organizations.- (1) Each establishment shall maintain the records in hard and soft copies, which includes in the form of register or computer or tab or any other electronic form or any type of written information whether it is expressed in normal or machine language and such other documents, which are useful for the purpose of these rules.

(2) Every establishment shall maintain record of following particulars, which shall be made available to Social Welfare Department every year in the month of January, i.e. :-

(i) Number of persons with disabilities employed and the date from which they are employed;

(ii) Name, gender, name of post, category and address of such employed persons;

(iii) Type of disability (with special identity card number for such persons with disabilities) of such employed persons;

(iv) Nature of work done by such employed persons;

(v) Special facilities made available for such persons with disabilities;

(3) Every establishment shall verify the documents as required by authorised person.

20. **Inspection of Records.-** (1) Every establishment shall make available records kept for inspection under these rules, on demand by the representatives nominated by Social Welfare Department, labour Department and Collector to the officers appointed under this Act and provide such information which is for the purpose of knowing that whether the provisions are complied with or not.

(2) If upon inspection, it appears that concerned department is not complying with the provisions of the Act, then inspecting officer shall inform in writing about the deficiencies found during inspection to the Collector at District Level and to concerned department at State Level.

21. Appointment of Grievance Redressal Officer.- (1) Every Government establishment shall appoint an officer not below the rank of Gazetted Officer as “Grievance Redressal Officer” within six months from the commencement of this rule.

(2) Disposal of complaint shall be done by Grievance Redressal Officer within 90 days, reason shall be given in case the complaint is not disposed of and shall give updated information of the received complaints to State Commissioner persons with disabilities.

(3) Appointment of Grievance Redressal Officer and complaint received by Complaint Redressal Officer and information with regard to disposal of complaint shall be informed to State Commissioner of Persons with Disabilities.

(4) Each department shall provide information with regard to appointment / nomination of Grievance Redressal Officer on its website, in absence of website it shall be displayed at a conspicuous place in their campus.

(5) For this purpose, Grievance Redressal Officer shall keep a register for complaints which shall contain following entries:-

(i) Date of complaint made;

(ii) Name of Complainant;

(iii) Name of person investigating the complaint;

(iv) Place of incident;

(v) Name of establishment/organisation or person against whom complaint is made;

(vi) Summary of Complaint;

(vii) Documentary evidence, if any;

(viii) Date of disposal of Complaint by Grievance Redressal Officer;

(ix) Brief details of disposal of appeal by District Level Committee;

(x) Any other information.

(6)If no solution is achieved upon action done by “Grievance Redressal Officer” on the complaint then he may appeal before District level Committee on disability, which shall be as follows:-

(i) Representative nominated by the Collector - Chairperson

(ii) Assistant Commissioner or Labour
Officer of Labour Department - Member

(iii) Joint / Deputy/Assistant Director, Social
Welfare Department - Member-Secretary

CHAPTER – V
SOCIAL SECURITY, HEALTH AND REHABILITATION

22. **Social Security.-** Guidelines issued from time to time shall be followed for the benefit of schemes/programmes run by the State Government for disabled persons.

23. **Healthcare.-**(1) Guidelines shall be laid and notified within 06 months for providing facility of free health check up, diagnosis, therapy and separate line for persons with disabilities in Government Hospitals by Public Health, Family welfare and Medical Education Department.

(2) In all Government Hospitals of the State, information on every aspect shall be displayed for barrier free environment.

(3) Before providing license to all private hospitals under Chhattisgarh Nursing Home Act 2015, it shall be mandatory to provide barrier free facility as prescribed under sub-section (2), at district level, Chief Medical and Health Officer shall be the Nodal Officer.

(4) Following committee shall be constituted under the Chairmanship of Director, Directorate of Health Services after survey of persons with disabilities, discussion on research work for implementation:-

(i) Director, Directorate of Health Services - Chairperson

(ii) Head of the Department, Community Health,
Pt. Jawaharlal Nehru Medical College Raipur - Member
(Chhattisgarh)

(iii) Additional Director, Directorate of Social Welfare - Member

(iv) Deputy Director, Health Services - Member-Secretary.

Request may be made to the Director, Health Services/Director Social Welfare in order to nominate additional subject specialist as member in the said committee.

(5) For complete therapy of the persons with disabilities, Public Health, Family Welfare and Medical Education Department shall make all arrangements at District Headquarter

or if required at Janpad Panchayat Headquarter, this facility shall be mandatory within two years from the commencement of this rule.

(6) Scheme shall be devised by social welfare department for rehabilitation of persons with disabilities (forty percent/ more than forty percent) in left extremist affected areas.

(7) Every year Public Health, Family Welfare and Medical Education Department shall display survey on the basis of disability, Medical certificate (with UDID card), facilities provided and number for persons with disabilities in its annual/administrative report.

24. Rehabilitation.- Schemes/Programmes run by various departments under the State Government shall make special provisions for rehabilitation of persons with disabilities and shall display number of facilities provided to the persons with disabilities in their annual departmental / administrative report every year.

25. Research and Development.-At State Level, State Government shall constitute following committee for accessible, easy and independent livelihood for persons with disabilities:-

(1) Director, Directorate of Social Welfare	- Chairperson
(2) Director, Directorate of Panchayat	- Member
(3) Director, Urban Administration	- Member
(4) Director, Directorate of Higher Education	- Member
(5) Director, Technical Education, Employment and Training	- Member
(6) Joint Director, State Resources and Rehabilitation Centre	- Member-Secretary

Additional Subject Specialist member shall be included in the said committee upon request to Director, Directorate of Social Welfare.

CHAPTER – VI
SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

26. Identification of posts for reservations.- (1) Government of Chhattisgarh, General Administration Department shall constitute committee in various Government establishment for identification of posts in accordance with persons with disabilities, the committee shall identify posts department wise and post wise within one year in accordance with the directions issued from time to time.

(2) The said Committee shall assess the identified posts within three years.

27. Reservation for employment.- (1) For employment of persons with disability, every Government establishment shall make reservations in accordance with the directions issued from time to time by the Government of Chhattisgarh General Administration Department, reservation shall not be less than that in the Act. Reservation shall be for the following categories:-

(i) Visually impaired and low vision;

(ii) Deaf and hard of hearing;

(iii) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(iv) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(v) Multiple disabilities from amongst persons under classes (i) to (iv).

(2) Government of Chhattisgarh, General Administration Department shall issue detailed instructions to all departments in this regard for necessary action.

28. Computation of vacancies.- (1) For the purpose of computation of vacancies, total vacancies in cadre number in each group of the posts, Government of Chhattisgarh, General Administration Department, as per issued instructions from time to time, shall take into calculation persons with benchmark disabilities,

(2) As per the provisions of Section 34 of the Act, type of benchmark disability shall be in accordance with under sub-rule (1) of rule 27.

(3) For the purpose of computation of vacancies in cadre number in each Government establishment / organisation for persons with disabilities, one vacancy based roster shall be kept in accordance with directions issued from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration Department,

(4) Every Government establishment, while issuing the advertisement for filling up posts, along with number of vacancies reserved for persons in each category, shall display about benchmark disabilities as per the provisions of Section 34 of the Act, in addition shall also make available broadcast of advertisement and up to date information of filing of posts in prescribed form to the Nodal Department (Social Welfare Department).

(5) Under the provisions of Section 4 of the Act, reservation for persons with disabilities shall be horizontal and compartment wise, reservation of vacancies for persons with benchmark disabilities shall be in separate category.

(6) The Government of Chhattisgarh, General Administration Department shall issue detailed instructions to all departments for necessary action in this regard.

(7) General Administration Department shall be Nodal Department for taking action under the provisions of rule 26, 27 and 28 and shall assess and supervise the works done every year, number of appointments on various posts for persons with disabilities in Government services shall be displayed every year by all departments/undertakings/corporation /board of the State Government in their annual/administrative report.

29. Interchange of vacancies.- (1) Under provisions of Section 34 of the Act, Government establishments shall interchange the vacancies only when due procedure of appointment like advertisement published for filling up reserved posts for suitable persons with benchmark disability has been followed and after following entire procedure for appointment no person with disability is available for the post.

(2) In such a situation, interchange of vacancies shall be done only upon directions issued by Government of Chhattisgarh, General Administration Department and committee constituted in this behalf.

30. Presentation of returns.- (1) Every Government establishment shall submit the form of persons with disabilities to Local Employment Exchange in Employee Return Form-I from 1st April to 31st March once in six months and in Form-II shall submit the return once in two years.

(2) Half yearly return shall be submitted within 30 days from concerned date i.e on 31st March and 30th September in each financial year.

(3) Biannual return shall be submitted within 30 days of completion of every alternate financial year.

31. Form to keep the record by the employer.-Employer of each Government establishment/organisation shall keep the record of employee with disabilities in Form-III.

32. Incentives to employers in private sector.- Employers of private sectors who are authorized from all departments of Government who have employed at least five percent

of persons with disabilities out of total human resources, shall frame scheme within one year and issue instructions to provide incentives.

33. Special Employment Exchange:-Special Employment exchange that shall be notify the vacancies under Section 36 of the Act:-

(1)Such vacancies of Technical and Scientific nature of posts in establishment/ institution under the State Government under the Act shall be notified in Gazette by the Special Employment Exchange.

(2) Vacancies other than specified vacancies in sub rule (1) shall be notified in related local special employment exchange.

(3) District employment exchange run under the district shall keep entire record of such persons with disabilities who are unemployed and are diligent for employment and shall appoint one officer/employee as Nodal specially for such persons with disabilities.

(4) Skill development, Technical Education and employment, Science and Technology Department shall be Nodal Department for carrying out all the proceedings under sub-rule (1), (2) and (3) of rule 33.

CHAPTER VII
SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES WITH HIGH SUPPORT NEEDS

34. Special arrangement for persons with disabilities with high support.- (1) Under sub-section (1) of Section 38 of the Act, such person with disability, who considers himself to be in need of high support, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department shall notify to authorise Joint/Deputy Director, District Office Social Welfare Chhattisgarh to provide high support to such persons with disabilities.

(2)Under sub-section (2) of Section 38 of the Act, for such persons with disabilities, who are in need of high support, marked by Joint/ Deputy Director, District Office Social Welfare Department, Assessment Board shall be constituted at District Level to certify the nature of such special cases, as under :-

(i) Collector or Representative (Additional/ Not below Joint Collector)	- Chairperson
(ii) Chief Medical and Health Officer	- Member
(iii) Joint/Deputy Director, Social Welfare	- Member-Secretary

(iv) Social activist or Psychiatrist - Member

At least one representative shall be a female from among the representatives mentioned above. Disposal of case shall be done within 60 days.

(3) Appeal Board shall be constituted at Division Level against the order passed by Assessment Board constituted under sub-rule (2) of rule 38, as under:-

(i) Divisional Commissioner or his representative - Chairperson

(ii) Joint Director, Health Department - Member

(iii) Joint/ Deputy Director, Social Welfare - Member-Secretary

(iv) Social Activist or Psychiatrist - Member

At least one representative shall be a female from among above representatives, for clause (ii) and (iii) District officer of Division Headquarter shall only be nominated, appeal shall be disposed off within 30 days.

(4) On the basis of availability of financial and other resources, Joint/Deputy Director, District office Social Welfare shall make facilities available for persons with disabilities who are in need of high support.

(5) Facilities to be provided to persons with disabilities in need of high support shall only be upon recommendation of Assessment Board.

CHAPTER – VIII
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF APPROPRIATE GOVERNMENTS

35. Awareness campaigns.- (1) Under Section 39 of the Act, the Government of Chhattisgarh Social Welfare Department shall notify authority as guidelines issued from time to time for conducting awareness campaigns for safety, protection and promotion of rights of persons with disabilities.

(2) As per requirement, the State Government shall provide sufficient allotment of funds for running awareness campaigns.

36. Accessibility.- Every establishment shall comply with following norms:-

For accessibility Central/State Government shall issue guidelines from time to time for the physical environment, transportation and information and communication technology, such as:-

(i) Public building norms like "Harmonized Guidelines and Space Standards for persons with disabilities and Elderly Persons" notified in March, 2016 by Government of India, Urban Welfare Department.

(ii) Specified Public Bus Transport Body code like in notification No.Sa.Ka. 895 (A), dated 20th September, 2016, issued by Government of India, Ministry of Road and Highway Transport.

(iii) National Building Code of India, 2016, as amended or issued from time to time.

(iv) Information and Communication Technology:-

(A) Guiding principles of website of Government of India as adopted by Administrative reforms and Public Grievance Department, Government of India;

(B) Documents to be kept on website shall be in a prescribed form like ePUB or OCR based PDF form;

(C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0;

(D) Guidelines for Indian Government Website;

But accessible norms related to other services and facilities shall be in accordance with guidelines issued by Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi that runs accessible India campaign.

37. **Review of accessible norms.-** Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi shall review the related accessible norms on the basis of latest scientific information and technology from time to time. This shall be followed by all departments of the State Government.

38. **Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose.-** (1) As per the instruction of Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of persons with disabilities circulated under accessible India Campaign and under sub-section (1) of Section 45 of the Act, all Government and public building in the State should be made barrier-free for persons with disabilities.

(2) For accessibility at public and private places necessary action shall be taken by the concerned Department of rural/urban body authority.

(3) On the basis of available resources in all departments, maximum time limit shall be 10 years for accessibility, upon approval of Nodal department time limit may be extended on case to case basis and shall complete the work in prescribed time limit.

(4) Action plan shall be prepared within 90 days and made available to Commissioner, Persons with Disabilities Chhattisgarh and Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department and shall also display on the website of the department, in the absence of website it shall be displayed at a conspicuous place in their premises.

(5) All construction, transportation, information technology department/agency shall constitute appropriate team of accessible audits and shall get accessible auditing and complete auditing by that team.

(6) While granting permission for building of concerned department, road, website, construction agency, transport facility and transport management construction agencies and permission to others, sanctioning authority shall include permission for accessibility.

(7) Examination list be prepared for complying with rule in clause (6), if not complied with or upon violation there shall be provision of necessary penalty and punishment.

39. Time limit for accessibility by service providers.- Under Section 46 of the Act, all the departments of the State Government shall formulate rules within 02 years to ensure accessibility, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department may grant extension of time upon showing appropriate reason.

40. Human Resource Development.- (1) Within 06 months of coming into force of rules, concerned department shall give mandate training on disability rights in all courses for the training of Panchayati Raj Members, Legislators, Administrators, Police Officials, Judges, Lawyers, and other businessmen.

(2) Within 02 years of commencement of rules, concerned department shall induct subject related to disability in all education courses for schools, colleges and universities, teachers, doctors, nurses, paramedical personnel, human resources of Social Welfare department, rural development officers, mitanin workers, anganwadi workers and other, educational and professional workers.

(3) Within 01 year of commencement of rules, all departments shall initiate capacity building programmes including training in independent living and community relationships for families, member of community and other stakeholders and care providers on care giving and support.

(4) Within 01 year of commencement of rules, all departments shall ensure independence training for persons with disabilities to build community relationships on mutual contribution and respect.

(5) Within 02 years of commencement of rules, Government of Chhattisgarh, Sports and Youth Welfare Department shall conduct training programmes for sports teachers with focus on sports, games, adventure activities.

41. Implementation Committee.- (1) Apart from obligation in sub-section (3) of Section 47 of the Act, following State Level Implementation Committee shall be constituted to review implementation at State level:-

(i) Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department	- Chairperson
(ii) State Commissioner, Persons with Disabilities Chhattisgarh	- Member
(iii) Director, Directorate of Social Welfare	- Member
(iv) Managing Director, Chhattisgarh Persons with Disabilities Finance and Development Corporation	- Member
(v) Joint Director, State Resources and Rehabilitation Centre	- Member-Secretary

In the said committee, additional subject expert or specially invited member may be included upon request made to the Chairperson.

(2) Specially invited subject expert, non government member shall be given allowance for meeting, travel and other as per directions issued from time to time by Government of Chhattisgarh, Department of Finance, which shall be paid in accordance with the directions issued under destitute fund/Section 88 of the Act and rule 98 of this rules of the State and State Government from time to time for persons with disabilities.

(3) Duties of Implementation Committee**:-**

(i) Ensure action for implementation, evaluation and supervision of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;

(ii) Appropriate action to publicity for persons with disabilities, build environment etc. for sensitivity;

(iii)Action to implementation for instructions of new welfare scheme/programmes for persons with disabilities;

(iv) Effort to make funds available for said actions.

(4) If committee receives report from concerned person, department, agency, and organisations with regard to deficiency in implementation then concerned shall present such works scheme within 3 months to show cause for the time required to remove these deficiencies.

(5) Information with regard to report in deficiency in implementation and time taken to fill the deficiencies shall be displayed on the website of department/organisation, in absence of website it shall be displayed at a conspicuous place in the office campus.

42.Social Audit.-Audit of implementation of schemes/programmes run by all departments for persons with disabilities shall be done by person/institution/ organisation/experts authorised by Government of Chhattisgarh, its expenses shall be borne by concerned department.

CHAPTER – IX

REGISTRATION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS

43. Competent Authority.-For the purpose of sub-section (1) of Section 51 of the Act, officer nominated by the Government of Chhattisgarh shall be competent authority for the purpose of registration of institutions to be established under Section 50 of the Act.

44.Recognition of non government organisations.- (1) All organisations either run by State Government or voluntary organisation running for education, training, care and other services for persons with disabilities shall be registered under Section 50 of the Act, even if the organisations were registered or licensed under some other Act in force at the relevant time:

Provided that any organisation working for care of mentally ill persons, holding legal license under Section 80 of Mental Health Care Act, 2017 or under any other Act in force at the relevant time shall not be required to be registered under the Act, only information to be given.

(2) Concerned non government voluntary organisation shall apply in prescribed form to Joint/ Deputy Director, District office Social Welfare Department of concerned district.

(3) The following documents shall be annexed along with the application :-

(i) Documentary evidence indicating work done in the field of disability;

(ii) Constitution, bye-laws and regulations etc. governing the organizations;

(iii) An annual report of past 03 years and certificate and details etc. of its presentation to Competent Authority;

(iv) An audit report examined by Chartered Accountant, report correcting deficiencies pointed out during audit, details of proceedings carried out on report and aid/grants received in past 03 years;

(v) Name of persons employed in the organisation, their educational qualification and their total number and information with regard to their duties and allowance paid to them;

(vi) Number of experts employed in the organisation, their names and educational qualification and information related to the qualification;

(vii) Declaration shall be made by the organisation before the competent authority with regard to earlier records of conviction or involvement in other illegal activities and that they are not black listed by the Central or State Government;

(viii) Domicile certificate of applicant, his address, E-mail, Phone Number, Mobile Number and information of website of organisation;

(ix) Other documents required by the department.

(4) Every organisation applying under sub rule (1) shall fulfil following requirements with regard to the organisation:-

(i) Organisation is working in the field rehabilitation of persons with disabilities from more than 3 years immediately before applying;

(ii) Organisation is registered under Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) or under any other law applicable in the State at the relevant time and shall submit copy of such registration certificate alongwith application, bye-laws of organisation and copy of Memorandum of Association;

(iii) Oath Certification for organisation is not running for interest of personal or private body;

(iv) In order to provide food and to fulfil other special necessities, the organisation has appointed professionals registered under the Rehabilitation Council of India;

(v) Organisation has sufficient educational, knowledgeable and other learning materials available for persons with disabilities;

(vi) Organisation has submitted audited accounts and annual report to the competent authority and evidence with regard to submission before competent authority and details of proceedings done to overcome the deficiencies pointed out in report during audit;

(vii)Details/particulars of accessible environment with physical infrastructure, inclusive education, employment, social status, water, electricity, hygiene, cleanliness and entertainment facilities;

(viii) Resolution of controlling body to run organisation or shelter home;

(ix) Particulars schemes to provide services like medical, professional, educational, advice etc. to persons with disabilities in cases of new applicants and also such services provided by existing organisations;

(x) Management regarding safety, protection, and accessible transport;

(xi) Details of other assisting services run by the organisation;

(xii) Details of link and network with other Government, Non-Government, Corporate and other communal agencies providing necessity based services to persons with disabilities;

(xiii) Details of registration and funds available under Foreign Contribution Regulation Act, if any;

(xiv) Appropriate action shall be taken for hygiene by the competent authority and for implementation of such other Acts and rules of organisation (like provisions of Juvenile Justice Act, Labour Law, Indian Trust Act, Mental Health Care Act, Maintenance of Parents Act, Nursing Act, Fire Extinguishing Service Act, Rehabilitation Council of India Act etc.);

(xv) Any other norms as prescribed by the State Government.

(5) Upon receipt of application Joint/ Deputy Director, District office, Social Welfare shall examine the activities of the organisation and prepare details of inspection report within 30 days.

(6) After proceeding in clause (5) proposal shall be submitted to the competent officer along with recommendation of District Collector within 20 days.

(7) After receipt of report, competent authority shall issue registration certificate after verification and reconciliation within a period of 40 days under the provisions of Section 50 of the Act.

But after receipt of application it shall be mandatory to issue registration certificate to the organisation within 90 days as shown herein:-

District Office, Social Welfare	District Collector	Officer nominated by Commissioner/ Director Social Welfare
30 days	20 days	40 days

(8) Registration certificate shall be valid for a period of 05 years from the date of issuance, but voluntary organisation shall submit report to the Joint/Deputy Director, District Office, Social Welfare with regard to the activities done every year.

(9) An application for renewal of a certificate of registration shall be made to Joint/Deputy Director, District office, Social Welfare not less than 90 days before the expiry of the period of its validity.

(10) Application received for renewal of registration certificate of organisation, shall be issued within 30 days by District Office, within 20 days by District Collector and within 40 days by competent officer.

(11) If organisation does not apply for renewal of registration before expiry of period of registration, then such organisation shall not be a registered organisation under the provisions of Section 50 of the Act and further management of its beneficiaries etc. shall be taken over by the concerned District Collector.

(12) If upon inspection or annual review it is found that Act and rules prescribed there under for education-training, protection, rehabilitation and recirculation services and adherence to norms for management of organisation is not satisfactory or facilities are insufficient then State Government may terminate the recognition of management of organisation, in such a situation concerned District Collector shall carry out future management of its beneficiaries.

45. Refusal to issue registration certificate.- Competent officer after giving a considerable opportunity of hearing to the applicant within 15 days shall pass a “speaking order” refusing to issue certificate, special reason shall be specified in the order of refusal of issuance of certificate and shall be informed to the applicant by registered post or speed post and E-mail.

46. Legality of registration certificate.- Registration certificate issued under Section 50 of the Act shall be valid and legal for a period of 5 years until it is dismissed under Section 52 of the Act.

47. Revocation of registration.- (1) Notice shall be issued by competent authority/officer giving reasonable opportunity while cancellation of certificate of registration granted under sub-section (2) of Section 51 of the Act, specific reasons shall be mentioned in the notice for cancellation of registration and applicant shall accordingly be informed by registered post or speed post and E-mail.

(2) Upon termination of recognition of organisation registered under sub-section (2) of Section 51 of the Act, recognition and grant shall automatically terminate, in such a situation concerned District Collector shall take care of future management of its beneficiaries.

48. Appeal against order of competent authority/officer.- Any person or organisation aggrieved by the order of competent authority refusing to grant a certificate of registration or cancelling a certificate of registration may, within a period of 30 days, prefer an appeal to Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department against such refusal or cancellation, decision of appellate authority shall be final and binding.

49. Assistance to registered institutions.- Government of Chhattisgarh Social Welfare Department shall grant financial assistance to registered organisations working in the field of disabilities as per departmental sanction / rules for grants.

CHAPTER X
CERTIFICATION OF SPECIFIED DISABILITIES

50. Issuance of disability certificate by certifying authority.-In charge Medical officer of Government Hospital shall be competent authority to issue the disability certificate. Chief Medical and Health Officer/Civil Surgeon of concerned District shall appoint separate competent authority for every hospital under his jurisdiction.

51. Application for disability certificate.- (1) Any person with specified disability shall apply and submit application for disability certificate to the following:-

(i) Any medical officer or any other notified competent officer shall issue certificate described as evidence with regard to residence of applicant in the district or as described in Schedule-I.

(ii) Competent Medical officer of any Government Hospital from where he getting treatment or got treatment for disability:

Provided that if any disabled person is a minor or is mentally disabled or is suffering from such disability that he is unable to apply, then application shall be made on his behalf by his legal guardians or by such registered organisation taking care of said person with disability under the Act.

(2) The following documents shall be annexed along with the application:-

(i) Proof of residence (Domicile), proof of residence of legal guardians in case of disability notified under National Trust Act;

(ii) Two recent passport size photographs, photograph must show disability;

(iii) Aadhar Number or Aadhar enrollment number, if any.

52. Issuance of disability certificate.- (1) On receipt of application, Medical officer, or any other notified competent officer shall verify the information given by the applicant.

(2) Shall assess the disability of the concerned person in accordance with guidelines issued by Central Government and after complete satisfaction that the applicant is a disabled person, issue disability certificate in his favour in prescribed form.

(3) Medical Officer shall issue disability certificate within 30 days from the date of receipt of application.

(4) After proper examination, Medical officer shall:-

(i) Issue permanent disability certificate in such cases where there is no possibility of any progress in the level of disability with the passage of time; or

(ii) Issue temporary disability certificate in such cases where there is possibility of progress in the level of disability with the passage of time and shall also mention the period of its validity.

(5) If any applicant is not found fit for issuance of disability certificate then Medical Officer shall inform in writing mentioning the reasons within a period of 30 days from the date of receipt of application.

(6) Within a period of 03 months of coming into force of these rules, disability certificate and U.D.I.D. card shall be issued online on the web portal www.swavlambancard.gov.in of Government of India.

53. Certificate issued shall generally be valid for all purposes.- (1) Any person in whose favour disability certificate has been issued, he shall legally be valid to all facilities, discounts and benefits admissible to persons with disabilities under the schemes run by Government and Financially Aided Voluntary Organisations.

(2) Such person under such terms shall be eligible to apply as specified in appropriate schemes or as specified by instructions.

54. Appeal.- Any person aggrieved with the decision of the competent officer shall appeal to the Chief Medical and Health Officer within sixty days and it shall be mandatory to decide the appeal within thirty days, Government of Chhattisgarh, Public Health and Family Welfare and Medical Education Department shall issue detailed instructions within ninety days of coming into force of these rules.

CHAPTER-XI
STATE ADVISORY BOARD FOR PERSONS WITH DISABILITIES

55. State Advisory Board.- (1) In exercise of powers conferred under clause (1) of Section 66 of the Act, State Advisory Board is constituted for persons with disabilities, which shall review and assess welfare programmes/schemes for persons with disabilities, constitution of Board shall be as follows:-

(i) Hon'ble Minister , Social Welfare Department - Chairperson

(ii) Three Legislators (Name shall be referred by Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department - Member

(iii) President, Chhattisgarh Persons with Disabilities Finance and Welfare Corporation - Member

(iv) President Chhattisgarh Yog Ayog - Member

(v) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development, General Administration, Public Health & Family Welfare and Medical Education, Women and Child Development, Skill Development, Technical Education and Employment, Science and Technology, Finance, School Education, Higher Education, Urban Administration and Development , Housing and Environment, Commerce and Industry, Sports and Youth Welfare,

Transport, Law and Legislative Affairs, Public Works,
Tribal & Scheduled Castes, Other Backward Classes and
Minority Development Department - Member

(vi) Secretary, Government of Chhattisgarh,
Social Welfare Department - Member-Secretary

(vii) Director, Directorate of Social Welfare - Member

(viii) Following categories of members nominated by State Government – Five members who are experts in the field of rehabilitation and welfare of persons with disabilities (Rotation on the basis of disability as provided in the Act) - Member

(ix) 05 Members representing district (working in the field of rehabilitation and welfare of persons with disabilities in divisional rotation) - Member

(x) 10 persons with disabilities who have special achievement, out of which five shall be women, One of Scheduled Castes and One Scheduled Tribes - Member

(xi) 03 members of State Chamber and Commerce - Member

(2) Under clause 2 (e) (ii) of Section 66 of the Act, five members to be nominated to represent the districts by rotation shall be as follows:-

(i) Districts shall be arranged in descending order on the basis of population of persons with disabilities, on non-availability of population, districts shall be selected in accordance with the method laid down by Social Welfare Department;

(ii) In each division, one district shall be selected where population of persons with disabilities is high and five members shall be nominated first time, who shall represent district in the board;

(iii) After every three years, other districts shall be selected having high population of persons with disabilities. Procedure of nomination shall continue until all districts are not represented;

(iv) Term of office of members representing above districts shall be three years;

(v) Members shall be selected upon recommendation of Collector of concerned district.

(3) Meeting of State Advisory Board shall be held once in a year, in special circumstances, special meeting shall be conducted with the permission of the Chairperson.

56. Terms and conditions for members.-(1) Non Government members of State Advisory Board shall hold office for a term of 03 years from the date of their nomination.

(2) The State Government may, if it thinks fit, remove any nominated member before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Any nominated member, may at any time resign his office by writing and signature addressed to the State Government.

(4) A casual vacancy in the State Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the reminder of the term for which the member in whose place he was so nominated.

57. Allowances for members of advisory board.-(1) The non-government members of State Advisory Board shall be paid admissible travelling allowances and daily allowances for each day of the meeting, as per the 'finance- instructions' circulated by the Government of Chhattisgarh, Department of Finance and Planning Department, to the members of the Board/Commission/Corporation of State Government.

(2) Members of State Advisory Board is not residing in Nava Raipur / Raipur shall receive actual travel expense or actual fare which is not more than Second Class A.C. fare by train journey.

(3) Government members shall get the payment of daily allowance and travel allowance from the concerned department in which he is working only when he produces a certificate under the rules stating that he has not withdrawn such allowance from any other government concern for same travel and stay.

(4) As specified in clause (1) and (2), payment of permissible travel/daily allowances to non government members of the committee shall be made from the State Fund constituted for persons with disabilities under Section 88 and rule 98 of the Act/ State destitute fund or in accordance with the directions issued by the Government from time to time.

58. Disqualifications.- (1) No person shall be a Member of the State Advisory Board, who-

(i) is insolvent or at any time has been adjudged insolvent by competent court or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors; or

(ii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(iii) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, against moral turpitude; or

(iv) is, or at any time has been, convicted for an offence under this Act; or

(v) has so abused in the opinion of the State Government his position as a Member as to render his continuance in the State Advisory Board detrimental to the interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the State Government unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Any Member who has been removed under this rule shall not be eligible for re-nomination as a Member.

59. Functions of state advisory board.- The State Advisory Board shall perform the following functions, namely:-

(1) advise the State Government on policies, programmes, implementation of schemes for persons with disabilities.

(2) develop a State policy for persons with disabilities.

(3) review and coordinate the activities of all departments which are dealing with matters relating to persons with disabilities.

(4) prepare new programmes for persons with disabilities.

(5) take action with regard to barrier free environment, appropriate accommodation, equality for persons with disabilities.

(6) Assessment of policies, schemes and programmes.

(7) such other functions as may be assigned from time to time by the State Government.

60. Intimation of meeting.- (1) Meeting of State Advisory Board shall be ordinarily conducted on such date as fixed by the Chairman.

(2) Special meeting of State Advisory Board shall be conducted upon written request made by at least ten members.

(3) Member-Secretary shall inform of meeting to the Members by carrier or at their address by speed/registered post or by any other means which the Chairman may think fit in the circumstances.

(4)No member shall have right to raise any matter for discussion in the meeting without prior permission of the Chairman/Chairperson.

(5) Chairman shall have right to adjourn the meeting of State Advisory Board.

61. Presiding Officer.-Chairman, State Advisory Board shall preside over every meeting of the Board and in his absence Vice Chairman shall preside over the meeting but when both

Chairman and Vice Chairman are absent in any meeting then senior most member present shall preside over the meeting.

62. Quorum.- (1) Quorum shall be completed when one-third of total members of State Advisory Board are present in the meeting, but if quorum is incomplete then if meeting is adjourned for 30 minutes then quorum shall not be necessary.

(2) No discussion on adjourned meeting shall take place on any subject which is not the agenda of general or special meeting.

63. Minutes.-(1) Member-Secretary shall keep a record of names of members who participated in the meeting and a register shall be maintained for the purpose of proceedings of meeting.

(2) Minutes of earlier meeting shall be read out the beginning of next meeting and shall be approved by the Chairman and signed by him.

64. Proceeding of transaction of meetings.-Without permission of Chairman, no agenda shall be included in the proceeding or if member has not given information under sub rule (4) of rule 60 then such transaction shall not be done in the meeting.

65. Agenda for meeting of state advisory board.- (1) Transaction of proceeding of any meeting shall be in such order as is specified in the agenda, unless otherwise it is permitted by the Chairman.

(2) At the beginning or at the end of discussion on any proposal in the meeting, President or Member may suggest change in the order of proceeding mentioned in the agenda and if the Chairman agrees then such change shall be done.

66. Resolution By Majority.-All questions considered at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of votes of the members present and the members voting . If there are equal number of votes then decisive vote shall be of Chairman or in absence of Chairman, of Vice Chairman or in absence of both, second or decisive vote shall be of member presiding over the meeting.

67. Vacancies or any other defect not to invalidate proceedings.-No proceeding of the State Advisory Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of such Board.

68. District Level Committee on disability.-(1) In exercise of the powers conferred under Section 72 of Act, District Level Committee shall be constituted for persons with disabilities, which shall be as follows:-

(i) Collector - Chairperson

(ii) Chief Executive Officer, Zila Panchayat - Vice Chairperson

(iii) Commissioner, Municipal Corporation - Member

(iv) Chief Medical and Health Officer, Health Department - Member

(v) District Education Officer, Department of School Education - Member

(vi) District Programme Officer, Department of Women and Child Development - Member

(vii) District Transport Officer, District Transport Office - Member

(viii) Deputy Director/Principal (District Nodal) District Office, Department of Higher Education - Member

(ix) General Manager, District Industry and Trade Centre - Member

(x) Joint/Deputy Director, Department of Urban Administration - Member

(xi) Chief Executive Officer, Janpad Panchayat - Member

(xii) Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat - Member

(xiii) President, representative nominated by Zila Panchayat - Member

(xiv) 03 persons expert in the field of disability and rehabilitation (Rotation on the basis of disability provided in the Act) - Member

(xv) 05 members representative in the field of Urban/ Janpad Panchayat in rotation - Member

(xvi) 05 members of voluntary organisation with various disabilities out of which two women, one belonging to Scheduled Caste and one belonging to Scheduled Tribe - Member

(xvii) 03 members from District Chamber of Commerce - Member

(xviii) Joint / Deputy Director, District Office Social Welfare - Member-Secretary

Non Government members in clause (xiv), (xv) and (xvi) shall be nominated by the Collector.

(2) District Level Committee shall resolve the problems faced by persons with disabilities and shall take all necessary action for rehabilitation in co-ordination with all Government Departments/Non Government organisations and shall examine and assess the proceedings done.

(3) Non Government nominated members shall hold office for a term of 03 years and nominated member shall again be eligible for a term of 03 years.

(4) District Collector may, if it thinks fit, remove any nominated non Government member before the end of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

69. **Functions of District Level Committee.-** (1) Approval of Disability Welfare Annual Programme of District.

(2) Review of up-to-date information with regard to persons with disabilities on the portal of Social Welfare Department.

(3) Review of disability certificate and UDID card issued to persons with disabilities in the district.

(4) Review of beneficiaries of various scheme for welfare of persons with disabilities.

(5) To ensure appointment of persons with disabilities according to reservation in Government service.

(6) To inspect the works done by non- government organisations in the district working for welfare of persons with disabilities by the Chairman or by members of committee authorized by the President.

(7) Review of works done by all concerned departments under the Act working for persons with disabilities within an interval of six months.

(8) To review the progress of educational activities and solution of problems of person with disabilities.

(9) Review and issue instructions to provide barrier free environment within prescribed time limit.

(10) Review and issue necessary instructions regarding inclusive education, employment and social development under Inclusive India Campaign.

(11) Review interference, yearly detection and treatment etc. and other facilities and resources for persons with disabilities by concerned department.

(12) Review works done for welfare of disabled persons from the budget received by concerned department at district level.

(13) Review the works assigned by the State Government from time to time.

70. **Allowances for members of District Level Committee.-** (1) Non- government members of District Level Committee shall be eligible to receive allowances for meeting per day in accordance with 'financial-instructions' issued by the Government of Chhattisgarh, Department of Finance and Project as permissible for travel and daily allowance for members of Board/Commission/Corporation of State Government.

(2) As specified in clause (1) and (2), payment of permissible travel/daily allowance to non-government members of the committee shall be made from the State Fund constituted for persons with disabilities under Section 88 and rule 100 of the Act/destitute fund raised in the district or in accordance with directions issued by the Government from time to time.

71. **Information of meeting.-** (1) The meeting of the District Level Committee shall ordinarily be held at the District Headquarters on such date as may be fixed by the Chairman.

(2) Meeting of committee shall be held at least once in six months.

(3) It shall be mandatory upon the Member/Secretary to give information to the members with regard to meeting 15 days in advance.

(4) In unavoidable circumstances, Chairman can adjourn the meeting of District Level Committee.

72. **Presiding Officer.-** Chairman, District Level Committee shall preside over every meeting of the committee and in his absence any senior member shall be nominated to preside over the meeting.

73. **Quorum.-**One third members shall be required to complete the quorum of the committee but if the quorum is not complete then meeting shall be adjourned for minimum 30 minutes and then quorum shall not be necessary.

74. **Minutes.-** (1) Member-Secretary shall keep minute book which shall contain names and signatures of all members who participated in the meeting and details of all the proceedings of meeting shall also be noted down in it.

(2) At the beginning of each forthcoming meeting, minutes of previous meeting shall be read out and shall be approved by the Presiding Officer presiding over such meeting and shall be signed by Presiding Officer.

75. **Proceeding of transaction of meetings.-**Without permission of Chairman no agenda shall be included in the proceeding or no transaction shall be done if Member-Secretary has not given information under sub-rule (3) of rule 71.

76. **Vacancy or any other defect to invalidate proceedings.-** No proceeding of District Level Committee shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy or in any defect in the constitution of such committee.

CHAPTER XII
STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

77. **State Commissioner For Persons With Disabilities**.- Under Section 79 of the Act, State Government shall appoint state Commissioner for persons with disabilities.

78. **Qualification for appointment of state commissioner, persons with disabilities.-**Under sub-section (2) of Section 79 of the Act, for the purpose of being eligible to be appointed as Commissioner, a person shall have to fulfil following terms and conditions, i.e.:-

(1) He must have special knowledge and practical experience in respect of matters related to rehabilitation of persons with disabilities;

(2) As per advertisement inviting applications for appointment of Commissioner, Persons with Disabilities, candidate should not have completed 65 years of age as on 1st day of January in the year of last date;

(3) If he is employed under the Central/ State Government, then he must retire from the service before holding the office of Commissioner;

(4) Such retired officers of All India Services of Central Government and Civil Services of State Government who have experience in the field of policy making and administration;

(5) He should possess following educational qualification and experience, i.e.:-

(i) **Educational Qualification,-**

(A) Mandatory:- Graduate from any recognised University;

(B) Desirable:- Post Graduate from any recognised University in any subject like Social Work/ Law/ Management/Human Rights/ Rehabilitation/all subjects in Humanities/ any one subject in education of persons with disabilities.

(ii) **Experience:-** Should have at least 15 years from following types of one or more organisations at fixed levels:-

(A) Should be at Class-I post and have experience of 03 years in judicial and quasi judicial decisions in Central/State Government/Public Sector Enterprise/in Semi Government or autonomous body or social area (Social Welfare/ General Administration/Health/Education/Poverty Eradication/Women and Child Development) working in the matters related to disability or

(iii) Should have 15 years experience in the field of social work and must be eligible to take decisions in administrative/policy matters while posted as Senior Executive in renowned Private Sector Organisation and is able to run social welfare schemes of the organisation:

But out of 15 years of experience mentioned above, minimum 03 years experience in the State of Chhattisgarh is mandatory on the last date of inviting applications in the advertisement from candidates working in the field of empowerment of persons with disabilities.

79. Disqualifications for State Commissioner, Persons for Disabilities.- No person shall be eligible for the post of Commissioner, Persons for Disabilities, if he-

(1) is insolvent or at any time declared insolvent; or

(2) person of unsound mind or has been declared so by the competent court; or

(3) person who has been convicted of such an offence which is violent in nature and against moral ethics in the opinion of the State Government; or

(4) person who misused his powers as a State Commissioner, Persons with disabilities and found guilty and his services are against public interest;

(5) he has completed two terms in his office as Commissioner, Persons with disabilities.

80. Tenure of State Commissioner, Persons with Disabilities.- Tenure of Commissioner, Persons with Disabilities shall be for 03 years.

81. Headquarter of State Commissioner, Persons with Disabilities.- Headquarter of Commissioner, persons with disabilities shall be Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur, Chhattisgarh.

82. Mode of appointment of State Commissioner.- (1) For Filing up vacant post of State Commissioner, Persons with disabilities, Chhattisgarh, following scrutiny cum selection committee shall be constituted under the Chairmanship of Principal Secretary/Secretary/Special Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department:-

(i) Principal Secretary/Secretary/Special Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department	-Chairperson
(ii) Principal Secretary/ Secretary, Government of Chhattisgarh Law and Legal Affairs Department	- Member
(iii) Director, Directorate of Social Welfare, Chhattisgarh, Raipur	- Member

(2) The following shall be the procedure for selection of Commissioner, Persons with Disabilities:-

(i) Director, Directorate of Social Welfare shall issue advertisement inviting applications for the post of State Commissioner, Persons with Disabilities. Advertisement shall be published in minimum two National and two State Level daily newspapers and in one English Newspaper at both Levels;

(ii) Applications received shall be put forth before scrutiny cum selection committee constituted by the State Government;

(iii) On the recommendation of Scrutiny cum Selection Committee State Government shall appoint State Commissioner, Persons with Disabilities and there shall be no appeal in this regard;

(iv) Proceedings of meeting of scrutiny cum selection committee shall be confidential and no correspondence shall be permissible in this regard;

(v) If State Government finds no candidate suitable for the post of State Commissioner, Persons with Disabilities then selection procedure shall be repeated.

(3) Those candidates shall be eligible to participate who made application in response to advertisement in sub-rule (1) in the panel upon recommendation of committee and other eligible candidates found appropriate by the committee.

(4) State Government shall appoint any one candidate recommended by scrutiny cum Selection Committee as State Commissioner, Persons with Disabilities for the State of Chhattisgarh.

83. **Tenure of Commissioner.-** (1) Tenure of office of the State Commissioner shall be for 3 years or till he attains the age of 65 years whichever is earlier from the date he attains his office.

(2) Tenure of office of the State Commissioner shall be for 3 years and shall be extended for one term or till he attains the age of 65 years.

84. **Salary and allowances of State Commissioner.-** Under sub-section (3) of Section 79 of the Act, the State Government shall fix the salary and allowance of State Commissioner, Persons with Disabilities in the following manner:-

(1) State Commissioner shall be entitled for such salary and allowances as permitted by Principal Secretary, Government of Chhattisgarh;

(2) If State commissioner is any retired Government servant or retired employee of any organisation or private body which is financially aided by the Government and who is getting pension from such previous services then pension amount shall be deducted from permissive salary under the rules. If he has received summed value against any part of his pension, then amount of such summed value of pension shall be deducted from the salary.

85. **Other terms and conditions of service of State Commissioner.-** (1) State Commissioner shall be entitled for such leave as permissible for Officer of Principal Secretary Level of State Government.

(2) State Commissioner shall be entitled for such travelling allowance as permissible for officer of Principal Secretary Level of State Government.

(3) State Commissioner shall be entitled for such medical benefits as permissible for officers of Principal Secretary Level of State Government.

86. **Resignation and removal from post.-** (1) State Commissioner may resign from his post by giving written information with his signature addressing Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department.

(2) State Government may dismiss the post to any person who is a State Commissioner, giving opportunity of hearing, if he is:-

(i) becomes insolvent;

(ii) works in any paid employment during his tenure and involves in activities apart from duties of his office;

(iii) convicted for such an offence or sentenced to jail which involves moral turpitude or violence in the opinion of the State Government;

(iv) in the opinion of State Government, found unfit to perform his duties due to mental or body flabbiness or such serious default in performing his duties as stated in the Act;

(v) remains absent continuously for 01 month or more without prior permission from the State Government;

(vi) in the opinion of the State Government, abuses the office of the Commissioner in such a way that his continuance in office is against the interest of persons with disabilities.

87. Competent Authority to Remove State Commissioner, Persons with Disabilities.- Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department shall be the competent authority to remove the State Commissioner, Persons with Disabilities before expiry of his term of office.

88. Vacant post of State Commissioner, Persons with Disabilities.- Secretary, Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department shall be In charge the State Commissioner, Persons with Disabilities upon vacant post of Commissioner, Persons with Disabilities.

89. Staff for the office of State Commissioner, Persons with Disabilities.- Under sub-section (4) of the Section 79 of the Act, the following human resources shall be made available to assist in discharge of functions of the State Commissioner, Person with Disabilities:-

(1) Required staff shall be made available for the office of the State Commissioner, Persons with Disabilities;

(2) Staff shall be under the administrative control of the State Commissioner, Persons with Disabilities.

90. Advisory Committee for assistance of State Commissioner.- (1) In exercise of powers conferred under sub-section (7) of Section 79 of the Act, the Advisory Committee shall be constituted for assistance of the State Commissioner, Persons with disabilities, advisory Committee shall be as follows, namely:-

(i) 05 experts representing 05 categories of disabilities specified in the Schedule of the Act, out of which 02 shall be females;

(ii) The following three nominated experts in the field of barrier free environment:-

(A) One expert in physical environment;

(B) One expert in transportation systems;

(C) One expert in the field of information and communication technology or other services or facilities made available to the public.

(iii) One expert in the field of employment of persons with disabilities;

(iv) One legal Expert;

(v) One expert for persons with disabilities recommended by the State Commissioner.

(2) Commissioner shall have power to invite subject or domain expert as per requirement who shall assist him in meeting or hearing and for preparing report.

(3) Members of the advisory committee shall be appointed for a period of 3 years and shall be eligible to be nominated again only once.

(4) Non Government members of Advisory Committee of Commissioner shall be eligible to receive allowances for meeting per day in accordance with 'financial- instructions' issued by Government of Chhattisgarh, Department of Finance and Planning, as permissible for travel allowance and daily allowance for members of Board/Commission/Corporation of State Government.

(5) The members of the committee, who are not residing in Nava Raipur/Raipur, shall eligible to actual travelling expenses which are admissible to the First Class Officer of the State Government.

(6) Government members shall receive the payment of daily allowance and travel allowance from the concerned department in which he is working only when he produces a certificate under the rules, stating that he has not withdrawn such allowance from any other Government concern for same travel and stay.

(7) Payment of permissible travel/daily wages to non-government members of the committee shall be made in accordance with the directions issued by the Government from time to time. Until directions are issued, this payment shall be made from State destitute fund/State Fund constituted for persons with disabilities under Section 88 of the Act and rule 98.

91. Procedure followed by the State Commissioner.- Under Section 80 of the Act, the State Commissioner shall follow functions, as under:-

(1) Aggrieved person, may file a case/complaint before the State Commissioner as petitioner in person or by his agent or shall send by speed/registered post or E-mail addressing the State Commissioner describing the following, i.e. :-

(i) Name of aggrieved person, description and address;

(ii) The Name description and address of the opposite party or parties, where they can be ascertained;

(iii) Relevant facts of the complaint and when and where the cause of action took place;

(iv) Documents in support of pleadings made in the complaint;

(v) Relief claimed by the aggrieved person.

(2) Upon receipt of case/complaint, the State Commissioner shall supply one copy to opposite party or parties on the address mentioned in the complaint and direct them to file their reply within 30 days or within extended period of 15 days as approved by the State Commissioner.

(3) Parties or their agents shall remain present before the State Commissioner on the date of hearing or such other date when the hearing is adjourned.

(4) Where complainant or his agent fails to remain present before the State Commissioner on such dates, the State Commissioner may dismiss the case in default or decide on the basis of merits.

(5) Where opposite party or his agent fails to remain present before the State Commissioner on the date of hearing, he shall carry out such necessary proceeding under Section 82 of the Act as he think necessary to summon and call upon the opposite party to appear.

(6) If necessary, the State Commissioner shall ex-parte dispose of the case.

(7) The State Commissioner may adjourn the hearing of the complaint at any stage of the proceeding on such terms as he may deem proper.

(8) As far as possible the State Commissioner shall decide the complaint within a period of 3 months from the date of receipt of notice by the opposite party.

92. Submission of Annual Report.- (1) Under sub-section (1) of Section 83 of the Act, the State Commissioner persons with disabilities shall prepare and submit annual report to the State Government after the end of financial year which shall contain correct and complete details of of action taken.

(2) Under the provision of sub-section (2) of Section 83 of the Act, annual report shall be laid on board of Vidhan Sabha after authentication by authorised minister.

(3) Information with regard to each of the following subjects shall be specified in the annual report, i.e.:-

(i) One chart showing names and organisational set up of officers and employees of office of the State Commissioner, Persons with Disabilities;

(ii)Under Section 80 and 82 of the Act, such acts which the State Commissioner, Persons with Disabilities is empowered to discharge and execution of other important subjects in this regard;

(iii) Number of cases received and disposed of by the State Commissioner, Person with Disabilities and important recommendations made;

(iv) Progress in the State after execution of provisions of the Act;

(v) Information with regard to any other subject included by the State Commissioner, Persons with Disabilities and also information with regard to subject specified by State Government from time to time.

CHAPTER XII
SPECIAL COURT

93. Special Court.- For the purpose of providing speedy trial to persons with disabilities, the State Government, with the concurrence of High Court of Chhattisgarh, by notification, shall specify for each district, a court to be a Special Court to try offences under Section 84 of the Act. The Department of Law and Legislative Affairs shall be the nodal department for the proceedings under rule 93.

94. Appointment of Special Public Prosecutor.- Under sub-section (1) of Section 85 of the Act, Special Public Prosecutor shall be appointed as follows in each Special Court by Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department having :-

(i) practical experience of disposing of cases of persons with disabilities,

(ii) having practice experience as an advocate for not less than 07 years,

(iii) having knowledge of local language and customs-traditions,

95. Fees and other remuneration of Public Prosecutor.- Under sub-section (2) of Section 85 of the Act, Special Public Prosecutor shall be entitled to receive such fees or remuneration as admissible for Public Prosecutor appointed by State Government in Sessions Court under The Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).

CHAPTER XIV
STATE FUND FOR PERSON WITH DISABILITIES

96. Management of State Fund.- Under sub-section (1) of Section 88 of the Act, there shall be constituted a fund called State Fund for welfare and rehabilitation of persons with disabilities, which shall include the following:-

(i) Shall receive grants from the State Government, apart from this shall also arrange funds from donations, grants, contribution, financial assistance fees, rent, advertisement, and from other kinds of programmes;

(ii) Destitute fund under Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No.12 of 1970), every year 05% of destitute fund collected in the Districts and 10 % of State Destitute fund shall be apportioned and deposited;

(iii) 05% of the amount collected shall be apportioned and deposited every year in Corporate Social Responsibilities (C.S.R.) from relieved under Government and Private Enterprises run in Central/State Government in the State of Chhattisgarh;

(iv) Royalty obtained from mining of minerals in the State under DMF shall be collected and its 05% shall be apportioned and deposited;

(v) 05% of amount collected every year in districts under Red Cross Committee in State of Chhattisgarh and 10 % collected under State Red Cross Committee shall be apportioned and deposited;

(vi) Sum of money related to fund shall be deposited in such banks or invested in such a manner as is decided by Government body under simple directory principles of State Government.

97. Management Committee of State Fund.- (1) In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 88 of the Act, a governing body shall be constituted for management of

State Fund for persons with disabilities, the following shall be the form of management Committee of State Fund:-

(i) Principle Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh Social Welfare Department - Chairperson

(ii) Representative, Government of Chhattisgarh, Department of Finance - Member

(iii)Director, Directorate of Social Welfare, Chhattisgarh - Member-Secretary

(iv)Two persons with related disability representing persons with disabilities/organisations nominated(by State Government) in the Committee on rotation basis - Member

(2) Meetings of committee shall be conducted from time to time as required but it shall be mandatory to conduct meeting at least once in 06 months.

(3) Tenure of nominated Non Government Member shall be for a period of 03 years from the date of order and shall be eligible for nomination as a member for one more term.

(4) State Government if it thinks appropriate may remove any nominated Non-Government member before expiry of his period of tenure only after giving a reasonable opportunity of showing cause.

(5) During the period of membership, no member of the committee shall be beneficiary of the fund.

(6) Nominated Non Government members shall be eligible for such permissive travel/daily allowance as is permissible to members attending meeting of State Advisory Board.

(7) No person shall be nominated as non government member in the management committee, if he is –

(i) Or has been convicted for such an offence which in the opinion of State Government amounts to moral turpitude.

(ii) Declared or was declared insolvent at any time.

98. Utilisation of Fund.- (a) Under the provisions of sub-section (2) of Section 83 of the Act, utilisation of State fund shall be for following purposes, i.e.:-

(1) In providing financial assistance in such area which do not come under any scheme and programme of Central/State Government in any specified form or not financially aided under any scheme or programme of State Government in sufficient manner;

(2) Destitute Fund under Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon ki Sahayata Niyam, 1999, shall be utilised for the purpose of welfare provisions made for persons with disabilities;

(3) For payment of honorarium/travel expenses to Non-Government members of committee and board constituted under this Act;

(4) For such other purposes as are recommended by State Advisory Board;

(5) For every purpose, Commissioner/Director Social Welfare may spend maximum amount of Rs. 10 lakhs. Upon approval of Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department, more amount may be disbursed as is already sanctioned;

(b) Committee shall appoint staff along with accountant on such terms and conditions as it finds proper for taking care of management and utilisation of State Fund.

99. Budget.- (1) Funds received in State Fund for persons with disabilities shall be kept in listed and distinguished Bank by Finance Department, Government of Chhattisgarh.

(2) Withdrawal of State Fund from the bank shall only be done under twin signature method upon approval of Commissioner/ Director, Directorate of Social Welfare.

(3) Audit of financial accounts of State Funds shall be done every year by Chartered Accountant authorised by the administrative department. Same Chartered Accountant shall not audit the accounts continuously for 3 times:

Provided that nomination of other organisation by Department to audit financial accounts of State Fund shall be upon recommendation of management Committee.

(4) Directorate shall get the audit of accounts of State fund done by Chartered Accountant for every financial year and shall submit audit report along with utility certificate for grants obtained in financial year to Government of Chhattisgarh, Social Welfare Department.

(5) Administrative department shall have right to demand accounts of State Fund at any time and Directorate, Social Welfare shall be bound to produce the same.

100. Administrative/Annual Report.- (1) A chapter on State Fund for person with disabilities shall be included in the departmental annual / administrative report of Government of Chhattisgarh Social Welfare Department.

(2) Numerical information along with percentage with regard to financial (expense) and physical achievement for persons with disabilities out of total beneficiaries from allotment

(scheme/head-wise) in financial year in the scheme/programmes run by various departments of the State Government shall be mentioned.

101. Repeal and savings.- The Persons with Disabilities (Equal Opportunity, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997 are hereby repealed:

Provided that notwithstanding the repeal of the said rules, anything done or any action taken under the said rules, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

Name of Office.............
District.............(Chhattisgarh)

Form-I
(Details of Employer)
(See rule 30(1))

1. 06 month details to be submitted to Special Employment Exchange, half year ending on 31st March 20___.

2. Name and address of Employer ____.

3. Headquarter____.

4. Branch Officer ____.

5. Proceeding / Nature of main Activity____.

(A) Employment

Total number of persons on pay role of Government establishment/institution/which includes proprietor/partner/commission agent/ contingency paid/contract labour but does not include temporary worker and trainee(In these data, each such person must be included whose wages or salary is paid by Government/establishment/institution)

On last working day of first Half Year				
Blindness and low vision	Deaf and who have difficulty in listening	Locomotor disability, which includes cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscle dystrophy	Autism, Intellectual disability, specific learning disabilities and mental illness	Persons with multiple disabilities out of persons with disabilities in column (1) to (4) including deaf- blindness
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

On last day of Half Year under the report				
Blindness and low vision	Deaf and who have difficulty in listening	Locomotor disability, which includes cerebral palsy, leprosy cured after treatment, dwarfism, acid attack victims and muscle dystrophy	Autism, Intellectual disability, specific learning disabilities and mental illness	Persons with multiple disabilities out of persons with disabilities in column (1) to (4) including deaf- blindness
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. Disabled Men ....
2. Disabled Women ....
3. Disabled Third Gender..............
   Total...........................

(A) If during the period of 6 months increase or decrease is more than 6% then mention main reasons for increase or decrease in employment.

2. Vacancies:- Vacancies which are in accordance with total emoluments in minimum wages every month and are more than a period of six months.

(A) Number of vacancies created and notified during period of 6 months and number of vacancies filled during this period (separate data to be given for disabled men and women)

Created	Notified	Filled	Source
(1)	(2)	(3)	(4)

(Details of source in which filled)

Local/ Special Employment Exchange	Simple Employment Exchange
(1)	(2)

(B) Persons for not notifying all vacancies created during the period of 6 months under the report in 2 (A)............................
3. Lack of manpower:-
Vacancies / posts not filled up due to lack of suitable applicants...............
Name of business or Post................
Vacancies/Posts (According to disability) not filled.......................

Mandatory qualification	Mandatory Experience	Experience not necessary
(1)	(2)	(3)

Please list any other business for which Government establishment/organisation experienced difficulty in appointing suitable candidate.

Date.......... Signature of Employer

To,
Employment Exchange
....
....
....

Note: These details are with regard to completion of 6 months on 31st March and 30th September and it shall be sent to Special Employment exchange within 30 days after the end of concerned half year.

Name of the office................
District...............(Chhattisgarh)
Form-II
(Details of Employer of Persons with Disabilities)
(See rule 30(1))

Business details submitted in local Special Employment Exchange once in 2 years.

1. Name and address of Employer..............
2. Nature of proceeding................................

(Please describe as to what manufacturing is done in Government establishment or what is its main activity)

(1) No. of persons on specified date _______ on pay roll of Government establishment (In these data, each such person must be included whose wages or salary is paid by Government establishment). (Separate date be given for disabled men, women and third gender).

(2) Classification of business of all employees as in (1) above (Please specify the number of employees in each business below separately.)

Business........ No. of Employees................

Utilisation of exact expression	Disabled Man	Disabled Woman	Disabled Third Gender	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Like Engineer (Mechanical) : Officer (Insurer) for Teacher (Domestic/ Science) Work: Assistant Director (Metallurgy): Research Officer(Economist): Instructor (Carpenter): Supervisor (Tailor): Fitter (Internal Combustion Engine): Inspector: (Cleanliness, Office of Superintendent, Trainee, Electrician)	As far as possible, please give the number of approximate vacancies in each business which shall be filed by you in next calendar year upon retirement.
Total	

Dated__________

Signature of Employer

To,

Employment exchange
(Please mention here the address of your local employment exchange)
Note:- Total in column (5) under column (2) should be in accordance with the data given in column (1).

Name of Office_____________

District_____________(Chhattisgarh)

Form-III
(Details of employer of Persons with Disabilities)
(See rule 31)

1) Name and address of Employer....................
2) Head Office..
3) Branch Head Office......................................
4) Proceedings / Nature of Main activity............

Total number of persons on pay roll of Government establishment/organisation (In these data, each such person must be included whose wages or salary is paid by the Government establishment/organisation).

Total number of persons with disabilities (disability wise) on pay roll of establishment/organisation (In these data every such disability afflicted person must be included whose wages or salary is paid by establishment/organisation.)

(A) Professional qualification of all employees (No. of employees in each profession to be given separately below)

Profession			No. Of disabled Employees		
Like Engineer (Mechanic): Teacher (Domestic/Science): Assistant Director(Metallurgy): Scientific Assistant(Chemist): Research Officer (Economist): Instructor (Carpenter):	Men	Women	Third Gender	Total	As far as possible please give the no. Of approximate vacancies in each business which shall be filled by you in next calendar year upon retirement
Total					

(B) If during the period of 6 months, increase or decrease is more than 6% then mention reasons for increase or decrease in employment.

2. Vacancies:- Vacancies , which are in accordance with total emoluments in minimum wages every month and are more than a period of 6 months.

(A) No. of vacancies emerged/produced and notified during the period of 6 months and no. of vacancies filled during 6 months under the periphery of the Act.

Emerged	Notified	Filled up	Source
	Local Special Employment Exchange	General Employment	Details of source by which filled
(1)	(2)	(3)	(4)

(B) Reasons for not notifying all vacancies emerged during the period of 6 months as per report in 2 (A)__________________________

3. Lack of Manpower

Reasons for vacancies/posts not filled up due to lack of suitable candidates

<table>
<tr><td colspan="2">Name of Profession/Post</td><td colspan="2">Vacancies/Posts not filled up</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)</td><td colspan="2">(2)</td></tr>
<tr><td>Mandatory Qualification</td><td colspan="2">Mandatory Experience</td><td>Experience not required</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="2">(4)</td><td>(5)</td></tr>
</table>

Please List any other business for which Government establishment experienced difficulty in obtaining suitable candidates

Dated.................. Signature of Employer

District Hospital.......................

District ....Chhattisgarh

Form-IV
Application for obtaining disability certificate by Persons with Disabilities
[See rule 51(1)]

1. Name.................... ....

(Surname) (First name) (Middle name)

2. Father's Name....................... Mother's Name.......................

3. Date of Birth............/.........../........... (Date).........(Month).......(Year)..............

4. Age as on the date of application............Years

5. Gender:- Male/Female/ Third Gender

6. Address:- ....

(A) Permanent Address........................

(B) Current Address (For Corresponding) ....
(C) He/ She residing at current address from when........
Address...

7. Status of Education(Please tick whichever is applicable)

(i) Post Graduate,

(ii) Graduate,

(iii) Diploma,

(iv)Higher Secondary,

(v) High School,

(vi)Middle,

(vii) Primary,

(viii)Illiterate,

8. Profession............................

9. Identification Marks (1).............(2)....................

10. Nature of Disability.................................

11. Period/ Time from when disability occurred:- Birth/From year............

12.(i)Whether applied for disability certificate earlier ?Yes/No..........
(ii) If Yes , then details:
(A) Applied before which authority and in which District.............
(B) Result of application..........................

13. Whether disability certificate has been issued to you earlier? If Yes, then please enclose genuine copy.

Declaration:- I hereby declare that the information given above are true and correct to the best of my personal knowledge and belief. I have not suppressed any fact nor have given

false information. I further declare that if any fault appears in the application then I shall be liable for the action taken under the law for the benefits taken by me.

....
Signature or Left Thumb impression of Disabled person or mentally retarded, Autism, cerebral palsy and multiple disability

Date :.................
Place:..................
Enclosed:...............
(1) Proof of residence(Please tick whichever is applicable)
(A) Ration Card,
(B) Voter Identity Card,
(C) Driving License,
(D) Bank Passbook,
(E) Pan Card,
(F) Passport,
(G) Bills regarding telephone, electricity, water and other usages indicating address of applicant,
(H) Domicile certificate issued by Panchayat, Nagar Palika, Contonment Board, any Gazetted Officer or concerned Patwari or Principal of Government School,
(I) Domicile certificate issued by Head of Institution in case of disabled person, destitute, mentally ill person etc. residing in the institution,
2. Two recent passport size photographs

....

(only for office use)

Date:.............
Place:................

Signature of issuing Authority

Seal

District Hospital.........................
District.........................(Chhattisgarh)

Form-V
Disability Certificate

(In case of Amputation or complete permanent disability of dwarfism and Visual Impairment)

[See rule 52 (1)]

(Name and address of concerned Medical Officer issuing certificate)
____

Recent Certified Passport size photograph of Disabled person (Showing only face)

No. of Certificate...................................Dated.....................................

It is certified that I, Shri/Smt./Kumari.....................................Son/Wife/ Daughter of Shri .... Date of Birth...........................Age................years, Male/Female/Third Gender...........Registration No................House No................Ward/Village/Lane.............Post Office............District..........State......................., is a permanent resident and I have carefully examined the photograph affixed above and I am satisfied that:-

(A) This case is of -

. Locomotor Disability

. Dwarfism

. Blindness

(Please tick whichever is applicable)

(B) Solution in their case__________________.

(C) According to Guiding principles (_________________ Number of guidance and date of issuance to be specified) Their

2. Following documents have been submitted with regard to domicile as evidence:-

Nature of Document	Date of Issuance	Details of Authority issuing the certificate

(Authorised Signature and seal of notified medical authority)

District Hospital................
District............(Chhattisgarh)

Form-VI
(Disability Certificate)
(In case of multiple disability)
[See Rule 52 (1)]
(Name and address of medical authority issuing certificate)

Recent Certified Passport size photograph of Disabled person (Showing only face)

No. of Certificate:................ Dated........................

This is to certify that I, Shri/Smt./Kumari,.................................Son/Wife/Daughter of Shri......................Date of Birth......................Age..............years, Male/Female/Third Gender...............Registration No..............House No.............Ward/ Village/Lane.......... Post Office............ District................. State ...., permanent resident and I have carefully examined the photograph affixed above and I am satisfied that:-

(A) This case is for multiple disabilities. Their permanent body injury/disability has been assessed on guiding principles (to be specified) for following disabilities as is indicated in front of disability in the chart below.

S.No.	Disability	Affected Part of the body	Solution	Permanent body disability/Mental disability (In percentage)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Locomotor Disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Cured Leprosy			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid Attack victims			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Hearing Impairment			
10.	Hard of hearing			
11.	Speech and language Disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Special Learning Disability			
14.	Autism spectrum disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic neurological conditions			

17. 18. 19. 20. 21.	Multiple Sclerosis Parkinsons Diesease Haemophilia Thalasemia Sickle Cell Disease			

(B) As above their complete permanent body injury/damage according to guiding principles(..................No. of guidance and date of issuance to be specified)
In Figures...................percent
In words...................percent
2. This condition is enhancing/non enhancing/chances of improvement in it/no chances of improvement.
3. Reassessment of disability
(i) Not necessary
Or
(ii) Recommended after ________________ year _________ month and therefore this certificate______ is valid till________.
(Date).............(Month)................(Year).................
@ Means right / left / Both arms / Legs
# Means on eye / both the eyes
Means left / right / both ears
4. Following documents submitted as proof of domicile:-

Nature of Document	Date of issuance	Details of authority issuing the certificate

5. Seal and signature of medical authority / officer

Name and seal of Member	Name and seal of Member	Name and seal of President

Signature / Thumb Impression
Of person in whose favour
Disability certificate issued.

District Hospital.................
District.................(Chhattisgarh)

Form – VII
Disability Certificate
(Cases apart from those mentioned in Form V and Form VI)
(Name and Address of Medical Officer issuing the certificate)
[See rule 52(1)]

Recent Certified Passport size photograph of Disabled person (Showing only face)

Certificate No:.................... Dated.....................

This is to certify that I, Shri/Smt./Kumari/ ....Son/ Wife/Daughter of Shri...........Date of Birth...............Age...............years, Male/Female/Third Gender............ Registration No........ House No. ....Ward/Village/Lane............Post Office........... District .... State.........., permanent resident, do hereby certify that I have carefully examined the photograph affixed above and I am satisfied that this is the case of ....disability. His physical harm/disability has been assessed on guiding principles (...........No. of guidance and date of issuance to be specified) and is indicated below in front of disability in the chart below:-

S. No.	Disability	Affected Part of the body	Solution	Permanent body disability/Mental disability (In percentage)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Locomotor Disability			
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Cured Leprosy			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid Attack victims			
7.	Low Vision			
8.	Blindness			
9.	Hearing Impairment			
10.	Hard of hearing			
11.	Speech and language Disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Special Learning Disability			
14.	Autism spectrum disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic neurological conditions			

17. 18. 19. 20. 21.	Multiple Sclerosis Parkinsons Disease Haemophilia Thalasemia Sickle Cell Disease			

Strike out that is not applicable

2. Above condition is enhancing/not enhancing/chances of improvement/no chances of improvement.

3. Reassessment of disability:-

(i) Not required/essential,

Or

(ii) Recommended after _____year ________ month and therefore this certificate is valid till date ____________ month ________________ year_____________ .

@ Means Right/Left/Both Arms/Legs

Means One Eye/Both Eyes

Means Left/Right/Both Ears

4. Following document submitted as evidence of domicile:-

Nature of Document	Date of Issuance	Details of Authority issuing certificate

(Authorised signature of notified medical officer)

(Name and Seal)
Signature

(In case of certificate issued by medical officer who is not a Government servant)

Chief Medical Officer / Medical Superintendent/
Seal and counter Signature of Head of
Government hospital

Note: If this certificate is issued by medical officer who is not a Government servant then it shall be valid only when it is countersigned by Chief Medical Officer of the District.

District Hospital................

District ....(Chhattisgarh)

Form – VIII

Note regarding rejection of application for grant of disability certificate

(See rule 52 (4))

Number................ Dated............

To,

(Name and address of applicant applying for disability certificate)

Subject: Rejection of application for grant of disability certificate

Sir / Madam,

Please take reference of application for issuance of disability certificate for following disability dated :-..

2. In furtherance of your earlier application bearing your signature, medical officer investigated on __________ and I am informed that it shall not be possible to issue disability certificate in your favour due to following reasons :-

(i)

(ii)

(iii)

3. If you are aggrieved by the rejection of your application, then you may make a representation before _____________ for review of this decision.

Sincerely,

(Authorised signature of notified medical officer)

(Name and seal)

Directorate of Social Welfare, Chhattisgarh
Form-IX

Registration Certificate of Non Government organisation
(See Section 50 of the Act and Rule 44 (7))

Number.................. Dated..................

It is certified that non-government organisation______________________, working in district ________________Chhattisgarh, working in the field of welfare of disabled persons under Section 50 and Rule 44(7) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 0f 2016) shall be registered from ______________(date). On_____(date) registration certificate is granted to the organisation.

Registration certificate shall be valid for 5 years from the date of issuance.

Date of expiry of registration...........................

Competent Authority
Directorate, Social Welfare
Chhattisgarh

Directorate of Social Welfare, Chhattisgarh

Form –X
Renewal of Certificate of registration of Non Government institutions
(See rule 51(5) of the Act and Rule 44(11))

Number..................... Dated..................

It is certified that non-government institution _______________ which is working in district ___________(Chhattisgarh), in the field of welfare of disabled persons under Section 51(5) and Rule 44(11) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), was registered on_________(date). Renewal of registration of institution is granted on _________(date) for next three years.

Renewal certificate of registration shall be valid for a period of 3 years from the date of issuance.

Date of expiry of renewal of registration..............

Competent Authority
Directorate, Social Welfare Chhattisgarh

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.